दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

सितंबर भाग-2

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- भारत: इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड 5
- भारत में प्रतिनिधि न्यायपालिका 7
- सामाजिक उद्यमिता शासन 9
- पूर्वोत्तर भारत में सेवा क्षेत्र: चुनौतियाँ और संभावनाएँ 11

आर्थिक घटनाक्रम **13**

- घरेलू पर्यटन अवसर 13
- भारत में हाई-एंड उत्पाद: दशा और दिशा 14
- न्यूनतम समर्थन मूल्य: आलोचना और महत्त्व 17
- आर्थिक विकास के लिये बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था 18

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **21**

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र और 'ऑकस' समझौता 21

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **24**

- भारत में डिजिटल प्रतिभा: अवसर और चुनौतियाँ 24

सामाजिक न्याय **27**

- ई-श्रम पोर्टल: सुधार की संभावनाएँ 27
- सु-शहरीकरण': महत्त्व और चुनौतियाँ 29
- रोग निगरानी प्रणाली 31

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

भारत: इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड

जनवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुँच भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि सरकार द्वारा इंटरनेट के उपयोग पर लगाया जाने वाला किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अस्थायी, अपने दायरे में सीमित, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिये।

उम्मीद यह थी कि यह निर्णय इंटरनेट निलंबन की घटनाओं को केवल उन असाधारण स्थितियों तक सीमित कर देगा जहाँ सार्वजनिक आपात की स्थिति है या सार्वजनिक सुरक्षा के लिये खतरा है। यह इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिये विधायी रूप से अनिवार्य पूर्वापेक्षाएँ हैं।

लेकिन दुर्भाग्य से, इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। वस्तुत: निर्णय के अगले वर्ष ही (वर्ष 2021 में) पिछले वर्ष की तुलना में इंटरनेट शटडाउन के और अधिक दृष्टांत सामने आए।

भारत का इंटरनेट प्रतिबंध वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए कुल नुकसान के 70% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार रहा और भारत 'विश्व की इंटरनेट शटडाउन कैपिटल' के रूप में कुख्यात बना रहा।

हाल के प्रतिबंधों के कुछ उदाहरण

- जम्मू और कश्मीर (J&K) केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने कश्मीर घाटी में मोबाइल डेटा तक पहुँच को प्रतिबंधित किया। ये प्रतिबंध कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के मद्देनज़र लागू किये गए।
- दिल्ली और हरियाणा में किसानों के प्रतिरोध पर नियंत्रण के लिये इंटरनेट बाधित किया गया।
  - इस संबंध में हरियाणा के आदेश सोशल मीडिया पर जारी हुए लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड नहीं किये गए।

इंटरनेट शटडाउन का औचित्य

- फेक न्यूज़ पर नियंत्रण: इंटरनेट शटडाउन के उपाय का उपयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब नागरिक अशांति की स्थिति होती है, ताकि सरकारी कार्रवाइयों के संबंध में सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सके या कार्यकर्ताओं/ आंदोलनकारियों के बीच संचार को अवरुद्ध किया जा सके और अफवाहों एवं फर्ज़ी खबरों के प्रसार को रोका जा सके।
  - यह अफवाहों को सत्यापित करने का एक उपकरण भी है और व्यक्तियों एवं सरकार को सच्चाई या वास्तविक स्थिति का प्रसार करने में सक्षम बनाता है।
- निवारक प्रतिक्रिया: इंटरनेट बंद कर देना अशांत/आक्रोशित समूहों द्वारा सरकार के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों के आयोजन को अवरुद्ध करने के लिये अपनाई जाने वाली एक आरंभिक और निवारक प्रतिक्रिया भी है।
- राष्ट्रीय हित: इंटरनेट को राष्ट्रीय संप्रभुता से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। इसलिये, इंटरनेट का आवश्यक विनियमन राष्ट्रीय हितों के आधार पर संप्रभु देशों के लिये एक उपयुक्त विकल्प भी है।

इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव

- भरोसे में कमी की स्थिति का निर्माण: वर्तमान समय में इंटरनेट एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है और सार्वजनिक रूप से प्रकट कारणों के बिना इसे प्रतिबंधित करना भरोसे में कमी की स्थिति (Trust Deficit) का निर्माण करता है।
  - भरोसे में कमी की स्थिति इससे भी बनी है क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुराधा भसीन मामले में न्यायालय के निर्देशों को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया है।
  - वर्ष 2020 में सरकार ने इंटरनेट निलंबन आदेशों को अधिकतम 15 दिनों तक सीमित करने के लिये दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 में संशोधन किया।

नोट :

- लेकिन इस संशोधन में आदेश प्रकाशित करने के लिये सरकार पर कोई दायित्व लागू नहीं किया गया और न ही इसमें इन आदेशों की आवधिक समीक्षा करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को कोई स्थान दिया गया।

- आर्थिक प्रभाव: वर्ष 2020 में इंटरनेट निलंबन के 129 अलग-अलग दृष्टांतों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे 10.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए।
  - इंटरनेट सूचना, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका का एक स्रोत होने के साथ ही भारतीय समाज के सदस्यों के लिये एक-दूसरे के साथ और दुनिया के साथ संवाद करने का एक मंच है।
- मानव विकास के विरुद्ध: इस तरह के निलंबन से होने वाले आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पत्रकारिता-संबंधी नुकसान किसी भी अनुमानित काल्पनिक लाभ पर भारी पड़ते हैं।
  - इंटरनेट पर आपातकाल के समय प्रतिबंध लगाया जाना उचित हो सकता है, लेकिन इसे प्रतिरोध के अधिकार के लोकतांत्रिक अभ्यास को बाधित करने के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये। वास्तव में, ऐसे अशांत समयों में एक-दूसरे की सहायता के लिये इंटरनेट एक आवश्यक साधन होता है।
- निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों पर प्रभाव: इंटरनेट प्रतिबंधों को प्राय: इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि वे मोबाइल डेटा सेवाओं को नियंत्रित करने तक ही सीमित होते हैं। लेकिन ऐसे दृष्टिकोण से भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।
  - भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतकों पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल डिवाइस उपयोगकर्त्ता (डोंगल और फोन) कुल इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के 97.02% भाग का निर्माण करते हैं।
  - केवल 3% उपयोगकर्त्ताओं के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुँच है।
  - इस आँकड़े में इन दो वर्षों में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट अभी भी महँगा है।
  - इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इंटरनेट प्रतिबंध निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

आगे की राह

- सभी नॉन-शटडाउन विकल्पों को ख़ारिज करना: सरकारों को उनके स्रोत पर ही समस्याओं को संबोधित कर सकने के सर्वोत्तम अभ्यासों की पहचान करनी चाहिये और इंटरनेट शटडाउन के वैकल्पिक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिये। क्षेत्रों के भीतर और बाहर अनुभवों की साझेदारी से ऐसे समाधान मिल सकते हैं जो इंटरनेट पहुँच पर प्रतिबंध लगाने के एकमात्र उपाय पर निर्भर नहीं होंगे।
- लागत-लाभ विश्लेषण: सरकारों को ऐसी किसी कार्रवाई से पहले इंटरनेट शटडाउन की लागत के प्रभाव का लागत-लाभ विश्लेषण (cost-benefit analysis) कर लेना चाहिये।
  - नेटवर्क में व्यवधान उत्पादकता को बाधित करते हैं, व्यावसायिक भरोसे पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक वित्तीय निवेश दोनों के लिये ही हानिकारक हो सकते हैं।
- अभिव्यक्तियों का विविधिकरण: उद्यम पूँजीपतियों और निवेशकों को अपने जोखिम मूल्यांकन के एक अंग के रूप में इंटरनेट शटडाउन को भी शामिल करना चाहिये। स्थानीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिये छोटे और मध्यम उद्यमों (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र से बाहर के उद्यमों सहित) के महत्त्व को इस दृष्टिकोण से भी अधिक व्यापक रूप से चिह्नित किया जाना चाहिये कि इंटरनेट शटडाउन किस प्रकार उनकी कार्यान्वयन क्षमता को पूरी तरह से कमज़ोर कर सकता है।
- स्थिति की निगरानी: अन्य हितधारकों के साथ नागरिक समाज संगठनों को इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव की निगरानी जारी रखनी चाहिये और इंटरनेट शटडाउन के विषय में सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की सुनिश्चितता के लिये एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिये।

निष्कर्ष

संसद ने इन प्रतिबंधों को केवल लोक आपात या लोक सुरक्षा के लिये खतरा होने की स्थिति में ही अनुमति दी है। लेकिन यह निराशाजनक है कि इंटरनेट पर नियंत्रण लगाना बेहद आम सरकारी कदम हो गया है जबकि पारदर्शिता की कमी के कारण इसे चुनौती दे सकना भी संभव नहीं होता।

नोट :

इस प्रकार, विश्व का "इंटरनेट शटडाउन कैपिटल" होने के टैग से छुटकारा पाने और डिजिटल इंडिया की संभावनाओं की पूर्ति के लिये कार्यकारी सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अधिक तत्परता से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

भारत में प्रतिनिधि न्यायपालिका

भारत में पहली बार एक महिला न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश बनने के अवसर की संभावना प्रबल हुई है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को यह अवसर वर्ष 2027 में मिलेगा। यह स्वागतयोग्य परिदृश्य है।

हालाँकि, इसके साथ ही एक बार फिर न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का बड़ा मुद्दा प्रकाश में आया है।

न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति

- सर्वोच्च न्यायालय में महिला प्रतिनिधित्व: सर्वोच्च न्यायालय (SC) में पहली महिला न्यायाधीश (न्यायमूर्ति फातिमा बीवी) की नियुक्ति वर्ष 1989 में—सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आने के 39 वर्षों बाद, हुई थी।
  - तब से अब तक केवल 10 महिलाएँ ही शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप नियुक्त हुई हैं।
- उच्च न्यायालयों में महिला प्रतिनिधित्व: उच्च न्यायालयों (HC) में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व भी अधिक बेहतर नहीं रहा है। समग्र रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीशों की संख्या मात्र 11% रही है।
  - पाँच उच्च न्यायालयों (पटना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड) में कभी भी किसी महिला ने न्यायाधीश के रूप में सेवा नहीं दी है, जबकि छह अन्य राज्यों में उनकी हिस्सेदारी 10% से भी कम थी।
  - मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक था।
- ज़िला न्यायालयों में महिला प्रतिनिधित्व: न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निचली अदालतों में कुछ बेहतर रहा है जहाँ वर्ष 2017 तक न्यायाधीशों के 28% महिलाएँ थीं। हालाँकि, बिहार, झारखंड और गुजरात में उनकी संख्या 20% से कम थी।

महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण

- अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली: प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की पद्धति के कारण अधिकाधिक महिलाएँ प्रवेश स्तर पर निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं।
  - हालाँकि, उच्च न्यायपालिका में एक कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है, जो अधिकाधिक अपारदर्शी बनी रही है और इसलिये पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने की अधिक संभावना रखती है।
- महिला आरक्षण का अभाव: कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिये एक आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है, लेकिन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में यह अवसर मौजूद नहीं है।
  - महिलाओं के लिये आरक्षण कोटा संभवत: उन कई कारकों में से एक है जो अधिकाधिक महिलाओं को प्रणाली में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहन और सुविधाएँ प्रदान करता है।
  - जिन राज्यों में अन्य सहायक कारक पर्याप्त रूप से मौजूद हैं, वहाँ महिलाओं का कोटा संभवत: लैंगिक प्रतिनिधित्व में अंतर को पाटने में मदद करता है।
  - वस्तुस्थिति यह है कि संसद और राज्य विधानसभाओं तक में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक आज तक पारित नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन करते रहे हैं।
- पारिवारिक उत्तरदायित्व: आयु और पारिवारिक उत्तरदायित्व जैसे कारक भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं।
  - महिलाओं की एक बड़ी संख्या न्यायाधीश के रूप में सेवा में बहुत देर से शामिल होती है, जिससे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच सकने की उनकी संभावना धूमिल हो जाती है।
  - इसके साथ ही, कई महिलाएँ एक न्यायाधीश के रूप में अपने विकास पर अधिक केंद्रित नहीं हो पातीं क्योंकि सेवा में आने के बाद उनका ध्यान अपने परिवारों की ओर अधिक केंद्रित हो जाता है।

नोट :

- लिटिगेशन (Litigation) के क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त संख्या का अभाव: चूँकि बार से बेंच में पदोन्नत किये गए अधिवक्ता उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के एक महत्त्वपूर्ण अनुपात का निर्माण करते हैं, महिलाएँ यहाँ भी पीछे रह जाती हैं। उल्लेखनीय कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या अभी भी कम है, जिससे वह समूह छोटा रह जाता है जिससे महिला न्यायाधीश चुनी जा सकती हैं।
  - जबकि कानूनी पेशे से संबद्ध महिलाओं की संख्या पर कोई आधिकारिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, वर्ष 2020 की एक न्यूज़ रिपोर्ट का अनुमान है कि देश में सभी नामांकित अधिवक्ताओं में महिलाओं की संख्या मात्र 15% है।
- पिछले 70 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।
  - भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 50% महिलाएँ हैं और बार (Bar) एवं न्यायिक सेवाओं में महिलाओं की एक बड़ी संख्या पदोन्नति के लिये उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद महिला न्यायाधीशों की संख्या कम ही रही है।

उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्त्व

- अधिकाधिक महिलाओं को न्याय प्राप्त करने हेतु प्रेरणा: महिला न्यायाधीशों की अधिक संख्या और उनकी अधिक दृश्यता अधिकाधिक महिलाओं को न्याय प्राप्त करने और अपने अधिकार पाने के लिये न्यायालयों तक पहुँचने हेतु प्रेरित कर सकता है।
  - हालाँकि, यह बात सभी मामलों में लागू नहीं होती, लेकिन न्यायाधीश का भी महिला होना महिला वादी को अधिक साहस प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - उदाहरण के लिये यदि ट्रांसजेंडर महिलाओं के मामले की सुनवाई के लिये न्यायाधीश के रूप में एक ट्रांसजेंडर महिला उपलब्ध है तो निश्चय ही इससे वादियों में भरोसे की वृद्धि होगी।
- अलग-अलग दृष्टिकोण का समावेश: न्यायपालिका में विभिन्न सीमांत/वंचित तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व उनके अलग-अलग जीवन-अनुभवों के कारण निश्चित रूप से मूल्यवान साबित होगा।
  - बेंच में विविधता निश्चित रूप से वैधानिक व्याख्याओं के लिये वैकल्पिक और समावेशी दृष्टिकोण लेकर आएगी।
- न्यायिक तर्कसंगतता में वृद्धि : न्यायिक विविधता में वृद्धि विभिन्न सामाजिक संदर्भों और अनुभवों को शामिल करने और प्रतिक्रिया देने के लिये न्यायिक तर्कसंगतता की क्षमता को समृद्ध और सुदृढ़ करती है।
  - यह महिलाओं और हाशिये पर स्थित समूहों की आवश्यकताओं के प्रति न्याय क्षेत्र की प्रतिक्रियाओं में सुधार ला सकता है।

आगे की राह

- पितृसत्तात्मक मानसिकता में परिवर्तन : यह समय की माँग और आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने वालों के नामों की अनुशंसा और अनुमोदन में पितृसत्तात्मक मानसिकता को दूर किया जाए और पदोन्नति के लिये योग्य महिला अधिवक्ताओं तथा ज़िला न्यायाधीशों पर विचार के साथ महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
  - जब तक महिलाएँ सशक्त नहीं होंगी, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता।
- आरक्षण का प्रावधान: यह उपयुक्त समय है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका रखने वाले लोग न्यायपालिका में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को समझें।
  - वास्तव में, उच्च न्यायपालिका में भी अधीनस्थ न्यायपालिका की तरह योग्यता से कोई समझौता किये बिना महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- रिक्तियों को अवसर के रूप में इस्तेमाल करना: उच्च न्यायालयों में 40% से अधिक रिक्तियाँ हैं। इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी को दूर किया जा सकता है।
- लैंगिक भेदभाव को दूर करना: यह सही दिशा में बढ़ाया गया कदम होगा और न्यायपालिका में अधिक सामाजिक एवं लैंगिक सद्भाव को अवसर देगा।
  - इस दिशा में आगे बढ़ाया गया कोई भी कदम समाज के लिये एक मानक होगा जहाँ अधिकाधिक छात्राएँ आगे आएँगी और कानून को पेशे के रूप में चुनेंगी।

नोट :

निष्कर्ष

वास्तव में विविधतापूर्ण होने के लिये भारतीय न्यायपालिका को न केवल विभिन्न लैंगिक पहचानों (ट्रांस और नॉन-बाइनरी सहित) बल्कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

इसका अर्थ यह भी होगा कि दोहरे रूप से हाशिये पर स्थित (doubly marginalised sections) वर्गों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हो ताकि 'इंटरसेक्शनल' आवाज़ों को भी प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके।

सामाजिक उद्यमिता शासन

संदर्भ

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने सामाजिक उद्यमियों की उल्लेखनीय भूमिका और सामाजिक क्षेत्र के विकास में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया है।

इस अवधि के दौरान उन्होंने संसाधन जुटाने, जागरूकता के प्रसार, आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के वितरण, परामर्श देने, मिथकों को दूर करने, घरेलू देखभाल सेवाओं की सुनिश्चितता, सामुदायिक सेवा केंद्रों का निर्माण, परीक्षण की सुविधा और टीकाकरण अभियान में सहयोग के रूप में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से इतर सामाजिक उद्यम मुक्त बाज़ार में सक्रीय होते हैं। वे लाभकारी, गैर-लाभकारी अथवा मिश्रित— किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब जबकि सामाजिक उद्यमियों की संख्या बढ़ी रही है, उन्हें सरकार से तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

सामाजिक उद्यमी और उनका महत्त्व

- सामाजिक समस्याओं पर ध्यान: सामाजिक उद्यमी मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर नवाचार की पहल करते हैं।
- सामाजिक क्षेत्र में बदलाव के एजेंट: सामाजिक उद्यमी समाज में परिवर्तन निर्माताओं के रूप में कार्य करते हैं और इस रूप में मानव जाति के विकास में योगदान के लिये दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
  - वे न केवल समाज में एक मज़बूत उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में बदलाव के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं।
- परिवर्तन लाना: वे सामाजिक मूल्य के सृजन और उसे बनाए रखने के लिये एक मिशन को अंगीकार करते हैं। वे नए अवसरों की पहचान करते हैं और उनका सख्ती से पालन करते हैं। वे लगातार नवाचार, अनुकूलन और लर्निंग की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं।
- जवाबदेही में बढ़ोतरी: वे उपलब्ध संसाधनों तक सीमित रहे बिना साहसपूर्वक कार्य करते हैं और अपने लक्षित समूहों के प्रति उच्च जवाबदेही का प्रदर्शन करते हैं।
- लोगों के जीवन में सुधार लाना: लोग जिन कारणों से स्टीव जॉब्स जैसे व्यावसायिक उद्यमियों के प्रति सम्मोहित होते हैं, उन्हीं कारणों से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस जैसे सामाजिक उद्यमियों की ओर भी आकर्षित होते हैं। ये असाधारण लोग शानदार विचारों के साथ सामने आए हैं और सभी बाधाओं को पार करते हुए ऐसे नए उत्पादों एवं सेवाओं के निर्माण में सफल हुए जिन्होंने लोगों के जीवन में नाटकीय रूप से सुधार किया।
- समावेशी समाज के निर्माण में सहायक: वे ज़मीनी स्तर पर समावेशी सुधार और समुदायों के पुनर्निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - उदाहरण: इला भट्ट (स्व-नियोजित महिला संघ- SEWA), बंकर रॉय (बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक, जो ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है), हरीश हांडे (इन्होने अपने सामाजिक उद्यम 'सेल्को इंडिया' के माध्यम से गरीबों तक सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी पहुँचाने का व्यावहारिक प्रयास किया है) जैसे भारतीय उद्यमियों ने भारत में कुछ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने में योगदान किया है।

नोट :

सामाजिक उद्यमियों को बढ़ावा देना

- तीन वर्ष से कम अवधि वाले सामाजिक उद्यमियों के साथ-साथ लाभकारी सामाजिक उद्यमियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) वित्तपोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
  - वर्तमान में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में इसकी अनुमति नहीं है।
  - कोविड-19 महामारी ने हाशिये पर स्थित समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, ऐसे में सामाजिक उद्यमियों ने अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर इन समुदायों की सेवा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - उन्हें आगे अपना कार्य जारी रखने और पुनर्निर्माण एवं पुनर्प्राप्ति प्रयासों में तेज़ी लाने के लिये पूँजी की आवश्यकता है।
- सामाजिक उद्यम को परिभाषित करना: आधिकारिक परिभाषा की कमी एक बाधा के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिये यूनाइटेड किंगडम का व्यापार एवं उद्योग विभाग उन्हें 'सामाजिक उद्देश्यों के साथ संचालित एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अधिशेष प्रमुख रूप से व्यवसाय या समुदाय में शेयरधारकों और मालिकों के लिये अधिकतम लाभ की आवश्यकता से प्रेरित होने के बजाय सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये पुनर्निवेश किया जाता है।'
  - भारत में सामाजिक उद्यमियों की समस्याओं को संबोधित करने के लिये कोई विशिष्ट मंत्रालय या विभाग मौजूद नहीं है, जिससे वे केंद्रित समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
  - उन्हें सरकार में एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता है। नीति आयोग इस क्षेत्र के संपोषण में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकता है।
- नॉट-फॉर-प्रॉफिट स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना: 'स्टार्ट-अप इंडिया' पहल ने फॉर-प्रॉफिट स्टार्टअप सामाजिक उद्यमों को तो संबोधित किया है, लेकिन नॉट-फॉर-प्रॉफिट स्टार्टअप्स को अब तक इसके दायरे में नहीं लाया गया है। इनका समावेशन भी इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- सामाजिक उद्यमों के लिये 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के प्रावधानों को सरल बनाया जाना चाहिये, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के माध्यम से धन प्राप्त कर सकें।
  - बड़ी वैश्विक पूँजी की संभावना को अवसर देना और FCRA दिशानिर्देशों में अधिक समावेशी, लचीला एवं समयबद्ध निकासी दृष्टिकोण धन की कमी का सामना कर रहे सामाजिक उद्यमों, विशेष रूप से वे उद्यम जो शुद्ध सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, को बड़ी राहत प्रदान कर सकता है।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण कार्य को तीव्र करना: वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा के साथ भारतीय बाज़ार तक पहुँच का इरादा रखने वाले निवेशकों के लिये सोशल बॉण्ड में निवेश को एक पात्रता मानदंड के रूप में रखना परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद कर सकता है।
  - यह कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिये सोशल बॉण्ड की खरीद करने और CSR कानून के अनुपालन के लिये एक मंच भी प्रदान करेगा।
- सामाजिक परियोजनाओं के लिये बोली प्रक्रिया को आसान बनाना: सामाजिक उद्यमी-विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म संगठन, जो ज़मीनी स्तर पर परियोजनाएँ कार्यान्वित करते हैं और नवोन्मेषक जो नए समाधान प्रस्तुत करते है, प्राय: सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये बोली प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ होते हैं।
- कार्य को चिह्नित करना: एक दशक से अधिक समय से 'श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल इंटरप्रेन्योरशिप' और 'जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन' वार्षिक 'सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द इयर' (SEOY) इंडिया अवार्ड के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता को संपोषण प्रदान कर रहे हैं।
  - सामाजिक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली ऐसी अन्य पहलों को अपनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

यह आवश्यक है कि एक ऐसे संपोषणकारी पारितंत्र का विकास किया जाए, जो नए कार्यक्रम शुरू करने, महामारी-प्रेरित अंतराल को कम करने, मौजूदा पहलों का दायरा बढ़ाने और मुख्यधारा की अनुक्रिया प्रणाली का हिस्सा बनने हेतु सामाजिक उद्यमियों को प्रेरित करने हेतु महत्त्वपूर्ण हो।

सामाजिक उद्यमियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी अनुक्रियाओं का समर्थन कर हम उनके ज़मीनी प्रयासों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं और भारत की समावेशी रिकवरी में मदद कर सकते हैं।

नोट :

पूर्वोत्तर भारत में सेवा क्षेत्र: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

संदर्भ

वर्ष 1991 में स्थापित 'लुक ईस्ट' पॉलिसी ने वर्ष 2015 की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी का मार्ग प्रशस्त किया। 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें सीमावर्ती देशों के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) को बेहतर 'कनेक्टिविटी' प्रदान करना भी शामिल है।

वैश्विक अनुभवों के विपरीत, दक्षिण एशिया के सीमावर्ती ज़िले, विशेष रूप से पूर्वी भू-भाग में, अन्य ज़िलों की तुलना में काफी पिछड़े रहे हैं। ऐसे कई अध्ययन मौजूद हैं, जो दर्शाते हैं कि पर्याप्त परिवहन एवं कनेक्टिविटी का अभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 'चिकेन नेक' क्षेत्र में एक बड़ी व्यापार बाधा के तौर पर कार्य कर रहा है।

बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सीमा से लगे इस क्षेत्र के कई ज़िलों को पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा 'पिछड़े' (Backward) क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में सेवा क्षेत्र की क्षमता पर उचित ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है। हालाँकि, महामारी के समय सेवा क्षेत्र की संभावना पर विचार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन निस्संदेह इसके प्रति सक्रीय और भविष्योन्मुखी बने रहना भी महत्त्वपूर्ण है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास संबंधी समस्याएँ

- विकास के सीमित क्षेत्र: पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक गतिविधियाँ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह व्यापक और विशाल क्षेत्र आज भी दुर्गम एवं पिछड़ा बना हुआ है।
- लंबे समय तक जारी रहने वाले विद्रोहों और सामाजिक-राजनीतिक संघर्षों के परिणामस्वरूप आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं और सामाजिक अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है।
- विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को नियमित धन प्रवाहित किया जाता है, हालाँकि इस धन का उपयोग ज़मीनी स्थिति पर हो पाटा है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र के आर्थिक कायाकल्प हेतु धन जुटाने के स्थानीय पहलों को हतोत्साहित करता है।
- परिवहन, संचार और बाज़ार तक पहुँच जैसी आर्थिक बुनियादी अवसंरचना की कमी ने भी इस क्षेत्र में औद्योगीकरण को बाधित किया है।
- पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं की कमी ने औद्योगीकरण को अवरुद्ध किया है, जबकि बदतर अवसंरचना के कारण मौजूदा औद्योगीकरण भी विकास नहीं कर सका है, जो कि एक दुष्चक्र का निर्माण करता है।
  - देश के शेष हिस्सों के साथ संपर्क की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। परिवहन एवं संचार संपर्कों का विकास केवल ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में केंद्रित होने के कारण इस क्षेत्र का विकास काफी असंतुलित और एकतरफा रहा है।
- निम्न कृषि उत्पादन: भू-भाग के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी झूम खेती (Slash and Burn) जैसी आदिम कृषि पद्धति प्रचलित है।
  - मैदानी इलाकों में एकल फसल प्रणाली स्थानीय उपभोग के लिये भी पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन में विफल है।

आगे की राह

- उत्पादक सेवाएँ: सीमावर्ती ज़िलों को अपने तुलनात्मक लाभों की पहचान करते हुए एक परिप्रेक्ष्य योजना विकसित करनी चाहिये और उन्हें 'ज़िला निर्यात हब' (District Export Hubs) और 'एक ज़िला-एक उत्पाद' (One District-One Product) जैसी योजनाओं के साथ समन्वित करना चाहिये।
  - प्रमुख क्षेत्रों के विस्तार के लिये 'उत्पादक सेवा' क्षेत्रों की उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रबंधन सेवाएँ, अनुसंधान एवं विकास, वित्तीय एवं लेखा सेवाएँ और विपणन आदि शामिल हैं।
- वित्तीय सेवाएँ: सिक्किम के अतिरिक्त, संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र वित्तीय समावेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है। वित्तीय सेवा क्षेत्र, पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय विकास को गति दे सकता है और इसमें दक्षता एवं निष्पक्षता दोनों प्रभाव निहित होंगे। 'फिनटेक' क्षेत्र संबंधी नवाचार भी काफी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

नोट :

- आईसीटी कनेक्टिविटी (ICT Connectivity): आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी क्षेत्र की प्रकृति भी वित्तीय सेवा क्षेत्र के समान ही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक अवस्थिति के कारण पर्याप्त आईसीटी कनेक्टिविटी का अभाव है, जो कि इस क्षेत्र के विकास के अवसरों को बाधित करता है।
  - यदि भारत, बांग्लादेश के सबमरीन केबल नेटवर्क का लाभ ले सके तो ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट और माइक्रोवेव प्रौद्योगिकियों के संयोजन के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र को डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहयोग, व्यापार एवं नवाचार से हमारे पड़ोसी देशों को भी मदद मिलेगी।
- पर्यटन: बेहतर कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्षेत्र के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही इसकी प्राकृतिक रमणीयता पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार हो सकती है।
  - अध्ययन में पाया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नेपाल के कई नागरिक खरीदारी के लिये सिलीगुड़ी आते हैं। पड़ोसी देशों से खरीदारी/पिकनिक के लिये दैनिक यात्राओं को प्रोत्साहित और मुद्रीकृत किया जा सकता है।
  - अल्पकालिक और दीर्घकालिक—दोनों तरह की यात्राएँ विदेशी राजस्व का सृजन कर सकती हैं। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर आयोजित हाटों/बाज़ारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- शिक्षा: सिलीगुड़ी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बोर्डिंग स्कूल संचालित किये जा रहे हैं, जो सीमावर्ती ज़िलों के छात्रों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य ज़िलों में भी इसी प्रकार के प्रयास किये जा सकते हैं। अनुसंधान संस्थानों और 'एडटेक' (Edtech) कंपनियों के माध्यम से उच्च शिक्षा को सेवा निर्यात के एक संभावित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- लॉजिस्टिक्स: मौजूदा अवसंरचनात्मक निवेश से लॉजिस्टिक्स सेवाओं की माँग बढ़ेगी। भारत इस क्षेत्र में कई हवाईअड्डों का विकास कर रहा है।
  - 'बागडोगरा हवाईअड्डा' (दार्जिलिंग) उत्तरी बंगाल का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है और यह बांग्लादेश एवं नेपाल के कई ज़िलों के निकट है।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) सेवा क्षेत्र के विकास के मामले में व्यापक संभावनाएँ प्रदान करता है। प्रत्येक सीमावर्ती ज़िलों की अनूठी प्रकृति को पहचानने, विकसित करने और बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इन क्षेत्रों में सतत् विकास और प्रगति को बढ़ावा मिल सके।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

घरेलू पर्यटन अवसर

पिछले 20 वर्षों में विश्व ने डॉट-कॉम बबल, 9/11 हमला, 2008 की वित्तीय मंदी जैसी कई वैश्विक प्रतिकूलताओं का सामना किया है। कोविड-19 एक मैक्रो-इवेंट के कारण होने वाला एक और व्यवधान रहा है, लेकिन इसकी तीव्रता कहीं अधिक गंभीर है।

सभी अन्य चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों की तरह इस महामारी-प्रेरित संकट ने भी हमें पर्यटन संभावना पर पुनर्विचार करने का एक अवसर प्रदान किया है। लेकिन इसके लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति, निजी क्षेत्र की उद्यमशीलता की भावना और निवेश समर्थन की आवश्यकता है।

पर्यटन क्षेत्र का महत्त्व:

- आय और रोज़गार सृजन: वर्ष 2020 में भारतीय पर्यटन क्षेत्र का 31.8 मिलियन रोज़गार में योगदान रहा, जो देश में कुल रोज़गार का 7.3% था।
  - वर्ष 2029 तक यह लगभग 53 मिलियन रोज़गार प्रदान कर रहा होगा।
- सेवा क्षेत्र: यह सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देता है। एयरलाइन, होटल, भूतल परिवहन जैसे सेवा क्षेत्र से संबद्ध व्यवसायों की एक बड़ी संख्या का विकास पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ-साथ होता है।
- विदेशी पर्यटक भारत को शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करते हैं।
- पर्यटन क्षेत्र पर्यटन स्थलों के महत्त्व और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित कर राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण के संरक्षण में मदद करता है।
- पर्यटन 'सॉफ्ट पावर' के रूप में सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने में सहायता करता है, लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ाता है और इस प्रकार भारत एवं अन्य देशों के बीच मित्रता व सहयोग को बढ़ावा देता है।

पर्यटन क्षेत्र में बाधाएँ:

- आधारभूत संरचना और संपर्क (कनेक्टिविटी): आधारभूत संरचना की कमी और अपर्याप्त संपर्क विभिन्न विरासत स्थलों तक पर्यटकों की पहुँच को बाधित करते हैं।
  - इसके अलावा, भारत में पर्यटन स्थल तो पर्याप्त संख्या में हैं, परंतु उन्हें जोड़ने वाले स्वर्ण त्रिभुज (दिल्ली-आगरा-जयपुर) जैसे कुछ ही सर्किट या खंड मौजूद हैं।
- प्रचार और विपणन: यद्यपि इसका विस्तार हो रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग/ब्रांडिंग अभी सीमित ही है और अभियान समन्वित नहीं हैं।
  - पर्यटक सूचना केंद्र कुप्रबंधन का शिकार हैं, जिससे घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिये सरलता से सूचनाएँ पाना कठिन हो जाता है।
- कौशल की कमी: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी आगंतुकों को विश्वस्तरीय अनुभव दे सकने के मार्ग में एक उल्लेखनीय चुनौती है।
  - बहुभाषी प्रशिक्षित गाइड्स की सीमित संख्या और पर्यटन विकास से जुड़े लाभों एवं ज़िम्मेदारियों के संबंध में सीमित स्थानीय जागरूकता एवं समझ पर्यटन क्षेत्र के विकास में बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं।
- पर्यटन क्षेत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं: विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 'यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट' 2019 के अनुसार, 140 देशों की सूची में भारत सांस्कृतिक संसाधनों एवं व्यापारिक यात्रा के मामले में 8वें, मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता के मामले में 13वें और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में 14वें स्थान पर था।
  - अलग-अलग विषयों में इस शानदार रैंकिंग के बावजूद समग्र पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता में भारत का 34वें स्थान पर होना यह इंगित करता है कि भारत अन्य देशों की तरह अपनी विरासत में निहित मूल्यवान आस्तियों का मुद्रीकरण या विपणन करने में पूर्ण सफल नहीं रहा है।

नोट :

आगे की राह:

- एक सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क: यात्रा एवं पर्यटन सड़क, रेलवे एवं हवाई मार्ग पर संचालित एक सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।
  - अंतिम-दूरी संपर्क को बेहतर बनाने के लिये अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।
  - रेलवे के मामले में यातायात गतिहीन बना रहा है।
    - रेलवे को आमूलचूल सुधारों की आवश्यकता है। यात्री ट्रेन सेवा में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा एक आरंभिक पेशकश की गई है, लेकिन समय की आवश्यकता है कि इस विषय में व्यापक सुधार लाया जाए।
  - हवाई यात्रा के मामले में बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के अनछुए पर्यटन संभावनाओं को उभारने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में उड़ान (UDAN) योजना के अंतर्गत शामिल कुल मार्गों के 50% से भी कम परिचालन में हैं।
    - इन मार्गों को परिचालित करना और एयरलाइनों के लिये व्यवहार्य बनाना महत्त्वपूर्ण है ताकि सिक्किम में ज़ुलुक, अरुणाचल में ज़ीरो, असम में माजुली जैसे अब तक अनछुए बेहद आकर्षक पर्यटन स्थलों को वाणिज्यिक उड़ानों, हेलीकॉप्टरों और हवाई टैक्सियों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
- अवसंरचनात्मक क्षमता का उन्नयन: शीर्ष पर्यटन स्थलों की अवसंरचनात्मक क्षमता के उन्नयन की अत्यंत आवश्यकता है।
  - पर्यटकों का अधिक आगमन, लेकिन बदतर अवसंरचनात्मक समर्थन के कारण भारत के शीर्ष पर्यटन स्थल चरमरा रहे हैं।
  - शिमला में जल की कमी और बुनियादी ढाँचे की समस्या सर्वविदित है और इस बार कोविड-19 की दो लहरों के बीच यह समस्या और प्रकट हुई है।
  - महामारी से पहले वर्ष 2018 में लगभग 26 मिलियन भारतीयों ने विदेश यात्रा की जिसमें लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये।
  - इस प्रकार, अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करना समय की बड़ी ज़रूरत है।
- अनदेखे स्थलों में संभावना की तलाश: हमें भारत में विभिन्न कम अनदेखे पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है। पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश अभियान' के साथ इस विषय में एक मज़बूत कदम बढ़ाया है, लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र को ऐसे अभियानों के विकास की दिशा में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है जो उभरती यात्रा प्राथमिकताओं के अनुरूप घरेलू यात्रा को बढ़ावा देंगे।
  - इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिये भारत के अनदेखे पर्यटन स्थलों की पहचान करना, उनका विकास करना और उनके बारे में जागरूकता फैलाना आवश्यक है ताकि अत्यधिक उजागर लोकप्रिय स्थानों पर पर्यटकों के बोझ को कम किया जा सके। उल्लेखनीय है कि चरम पर्यटन मौसम में ये अधिक लोकप्रिय स्थल ही पर्यटकों की 90% से अधिक संख्या का वहन करते हैं।
- प्रोत्साहन और रियायतें: इस विश्वास के साथ कि यात्रा और पर्यटन क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा रोज़गार सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदान देना जारी रखेंगे, यह उपयुक्त समय है कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन एवं रियायतें प्रदान की जाएँ।
  - हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया है। यह कदम केंद्र और राज्य, दोनों को ऐसी नीतियाँ बनाने का अवसर देंगी जो इस क्षेत्र को लाभान्वित कर सकें।
  - इस कदम से पर्यटन क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि इससे संपत्ति एवं अन्य करों का युक्तिकरण होगा, समग्र रूप से उन्हें औद्योगिक दर्जा प्राप्त होगा और बिजली एवं पानी की दरें कम होंगी।

भारत में हाई-एंड उत्पाद: दशा और दिशा

संदर्भ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था काफी लंबे समय तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर रही। इस समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक था। समय के साथ भारत धीरे-धीरे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में परिणत हो गया। हालाँकि कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि माध्यमिक क्षेत्र की अनदेखी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह तेज़ी से विकसित नहीं हो सकी है।

नोट :

बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र के महत्त्व और रोज़गार सृजन में इसकी क्षमता को समझते हुए वर्तमान सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

हालाँकि, कई जानकार मानते हैं कि उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिये विनिर्माण को 'लो-एंड' से 'हाई-एंड' उत्पादों की ओर स्थानांतरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

हाई-एंड उत्पाद निर्यात की मौजूदा स्थिति

- अध्ययन की सुविधा के लिये हम निर्यातित उत्पादों को दो श्रेणियों या बास्केट में विभाजित कर सकते हैं- बास्केट 'A' और बास्केट 'B'।
- बास्केट 'A' में वे उत्पाद शामिल हैं जिनका विश्व स्तर पर बड़े मूल्यों में कारोबार किया जाता है, लेकिन जिसमें भारत की हिस्सेदारी काफी कम है। उदाहरण के लिये मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन उत्पाद वैश्विक माल निर्यात बास्केट के 37% हिस्से का निर्माण करते हैं।
  - लेकिन इनमें से प्रत्येक के वैश्विक निर्यात में भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी बेहद कम है।
  - भारत मशीनरी में 0.9%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.4% और परिवहन उत्पादों में 0.9% की हिस्सेदारी रखता है।
  - कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादों जैसे- इंटीग्रेटेड सर्किट (0.03%), कंप्यूटर (0.04%), सोलर-सेल (0.3%), एलईडी टीवी (0.02%), मोबाइल फोन (0.9%) में भी भारत की हिस्सेदारी काफी कम ही है।
- बास्केट 'B' में वे उत्पाद शामिल हैं जिनके वैश्विक निर्यात में भारत बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन इन उत्पादों में विश्व व्यापार का मूल्य काफी निम्न है।
  - उदाहरण के लिये वैश्विक वस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 5.9% है, किंतु वस्त्र एक बहुत छोटी श्रेणी है, जिसकी वैश्विक निर्यात बास्केट में मात्र 1.3% हिस्सेदारी है।
  - इसी प्रकार, समुद्री उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी 5.4% है, लेकिन वैश्विक निर्यात बास्केट में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी मात्र 0.6% है।
  - ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हैं, जहाँ वैश्विक निर्यात मूल्य निम्न है, लेकिन भारत के पास उनमें एक बड़ी हिस्सेदारी है। उदाहरण के लिये कटे और पॉलिश किये गए हीरे (28.8%), आभूषण (13.5%), चावल (35%), झींगा (25.4%) और चीनी (12.4%) आदि।
- 'निर्यात जटिलता सूचकांक' (Export Complexity Index- ECI)) 130 देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता और तकनीकी परिष्करण (Technological Sophistication) को मापता है। इस सूचकांक में वर्ष 2000 में भारत की रैंक 42 और वर्ष 2019 में 43 थी, जिसका मुख्य कारण है कि बास्केट 'A' उत्पादों के मामले में भारत की स्थिति कमज़ोर है।
  - इसी अवधि में बास्केट 'A' उत्पादों में विस्तार के कारण चीन की रैंक 39 से सुधरकर 16 हो गई है।
  - ऐसे में भारत को बास्केट 'A' के उत्पादों के मामले में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष बल देना चाहिये।
- दूसरी ओर बास्केट 'B' का छोटा आकार विकास क्षमता को सीमित करता है। इस श्रेणी के अधिकांश उत्पाद श्रम-गहन और निम्न प्रौद्योगिकी वाले हैं, जिन्हें कम-लागत वाले देशों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है।

भारत में विनिर्माण से संबद्ध समस्याएँ

- अपर्याप्त कुशल कार्यबल: विनिर्माण क्षेत्र को अपने विकास के लिये आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण से संपन्न एक शिक्षित कार्यबल की आवश्यकता है।
  - भारत में कौशल पारितंत्र को दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है।
- आधारभूत अवसंरचना: विकसित देशों की तुलना में भारत में विनिर्माण प्रयोगशालाओं, कनेक्टिविटी और परिवहन की स्थिति मंद एवं अधिक लागतपूर्ण है जो उद्योगों के लिये एक बड़ी बाधा है।
  - निर्बाध बिजली आपूर्ति एक अन्य प्रमुख चुनौती है।
- लघु आकार: लघु उद्यम अपने छोटे आकार के कारण कम उत्पादकता की समस्या से ग्रस्त हैं जो अर्थव्यवस्था को व्यापक आकार प्राप्त करने से रोकता है।
- अनुसंधान एवं विकास पर निम्न व्यय के कारण नवाचार की कमी: वर्तमान में भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% ही अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च करता है जो अन्य विकसित देशों की तुलना में बेहद कम है।
  - यह नवाचार क्षमता और विकास को अवरुद्ध करता है।

नोट :

- निम्न उत्पादकता: भारत में श्रम उत्पादकता और पूँजी उत्पादकता- दोनों ही काफी निम्न हैं। भारत की तुलना में इंडोनेशिया की विनिर्माण उत्पादकता लगभग दोगुनी है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया की उत्पादकता चार गुना अधिक है।
  - आँकड़ों के मुताबिक, दक्षिण कोरिया का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र भारत की तुलना में 18 गुना अधिक उत्पादन करता है और दक्षिण कोरिया का रसायन निर्माण क्षेत्र भी 30 गुना अधिक उत्पादक है।

हाई-एंड उत्पाद निर्यात बढ़ाने के उपाय

- इनपुट पर निम्न आयात शुल्क अधिरोपित करना: इनपुट पर उच्च शुल्क के परिणामस्वरूप तैयार उत्पाद काफी महँगे होते हैं, जिसके कारण वे घरेलू और निर्यात बाज़ार दोनों में आयातित वस्तुओं से मूल्य-प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ जाते हैं।
  - निम्न शुल्क घरेलू फर्मों को प्रतिस्पर्द्धी बनाएंगे और जल्द ही इनमें से कई प्रत्यक्ष शिपिंग शुरू कर सकेंगी।
  - समय के साथ बेहतर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ, निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रोज़गार अवसरों की वृद्धि होगी।
  - उदाहरण के रूप में वियतनाम को देखा जा सकता है, जहाँ 5 मिलियन कामगार प्रत्यक्ष रूप से निर्यातकों के साथ संलग्न हैं, जबकि 7 मिलियन कामगार इन निर्यातकों को उत्पादों की आपूर्ति करने वाली फर्मों के लिये कार्य कर रहे हैं।
- औपचारिक वित्त तक पहुँच में वृद्धि करना: शीर्ष दस लाख छोटी विनिर्माण फर्मों को नियमित ब्याज दरों पर किसी संपार्श्विक के बिना बैंक वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाना आवश्यक है।
  - भारत की छोटी फर्मों के पास मात्र 4% औपचारिक वित्त तक पहुँच हैं। अमेरिका, चीन, वियतनाम और श्रीलंका के लिये यह आँकड़ा 21% है।
- निम्न मूल्य उत्पादों की निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना: बहुत से लोग स्थानीय स्तर पर उत्पादित साड़ी, सूट, हस्तशिल्प, तैयार/पके हुए खाद्य उत्पाद की खरीद करते हैं और उन्हीं दुकानों से विदेश में अपने मित्रों और परिजनों तक इन्हें कुरियर किये जाने की अपेक्षा रखते हैं।
  - ऐसे निम्न मूल्य के उत्पादों के निर्यात के लिये सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और अन्य संबद्ध एजेंसियों से संबंधित अनुपालनों को सरल एवं एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है।
  - ऐसे सरलीकरण से ज़िलों को 'निर्यात हब' के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
  - इस सरलीकरण से क्लास 'B' और 'C' शहरों में कार्यरत छोटे कारीगरों और फर्मों को भी अपने माल के निर्यात में मदद मिलेगी।
- महत्त्वपूर्ण उत्पादों से संलग्न बड़ी प्रमुख फर्मों को भारत में अपना परिचालन शुरू करने के लिये आमंत्रित करना: बास्केट 'A' के उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। सरल श्रम कानून, PLI प्रोत्साहन, नए विनिर्माण परिचालनों पर निम्न कॉर्पोरेट कर और पूर्वव्यापी कर को समाप्त करने जैसी सरकारी पहलों ने 'चाइना प्लस-वन' (China Plus-One) नीति का अनुसरण करने वाली कई फर्मों को भारत में अपना आधार स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहित किया है।
  - इस संदर्भ में बड़ी संख्या में प्रतिस्पर्द्धी सहायक इकाइयों की उपस्थिति और कौशल आधार भारत को अन्य प्रतिस्पर्द्धी देशों की तुलना में अधिक अनुकूल बनाता है।
- उत्पादकता बढ़ाना: वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिये भारत की विनिर्माण मूल्य शृंखलाओं को अपनी उत्पादकता को वैश्विक मानकों के करीब लाना होगा।
  - प्रमुख विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार करने से चयनित मूल्य शृंखलाओं में भारतीय कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
  - उद्योग 4.0 एवं स्वचालन प्रौद्योगिकी को अपनाकर और रि-स्किलिंग तथा अप-स्किलिंग में निवेश के माध्यम से भारतीय विनिर्माता हाई-एंड उत्पादों के उत्पादन में तेज़ी ला सकते हैं।

नोट :

न्यूनतम समर्थन मूल्य: आलोचना और महत्त्व

संदर्भ

वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में सूखे की लगातार दो घटनाओं के बाद सरकार ने वर्ष 2022-23 तक किसानों की आय को दोगुना करने का एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2022-23 तक किसानों की आय को दोगुना करने के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक रणनीति निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया है।

समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 2022-23 तक किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने हेतु प्रतिवर्ष 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। ज्ञात हो कि किसानों की आय के संबंध में नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गए एक आकलन के अनुसार, वर्ष 2015-16 में किसानों की औसत मासिक आय 8,931 रुपए थी।

'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) द्वारा वर्ष 2018-2019 में कृषक परिवारों की स्थिति पर किये गए एक आकलन सर्वेक्षण के मुताबिक, वर्ष 2018-19 में एक औसत कृषक परिवार ने 10,218 रुपए की मासिक आय अर्जित की। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य काफी महत्त्वाकांक्षी है और इसे प्राप्त करने हेतु एक वैकल्पिक नीति के तौर पर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (Minimum Support Price-MSP) प्रणाली का मूल्यांकन करना महत्त्वपूर्ण होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का लक्ष्य-

- किसानों को उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरित करना और इस प्रकार खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि करके किसानों के लिये लाभकारी एवं अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य वातावरण सुनिश्चित करना।
- खाद्य तक पहुँच में सुधार लाना।
- एक उत्पादन पैटर्न का विकास करना जो अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

MSP की आलोचना

- संबद्ध क्षेत्र के लिये कोई MSP नहीं: जानकार मानते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के अवसर में पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों का अधिक योगदान होता है। किंतु इसके बावजूद पशुपालन या मत्स्यपालन से जुड़े उत्पादों के लिये कोई 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' प्रणाली मौजूद नहीं है, न ही सरकार द्वारा इनकी खरीद की कोई व्यवस्था की गई है।
  - ये उत्पाद मुख्यत: मांग-प्रेरित होते हैं और इसका अधिकांश विपणन APMC मंडियों के बाहर होता है।
- अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था: माना जाता है कि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) और सरकारी खरीद में लगातार बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
  - हालाँकि सरकार के पास मौजूद अनाज का स्टॉक पहले से ही काफी अधिक है, जो कि सरकार को और अधिक खरीद करने हेतु हतोत्साहित करता है।
- धान और गेहूँ के पक्ष में MSP प्रणाली का झुकाव: भारत में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' प्रणाली धान और गेहूँ के पक्ष में काफी अधिक झुकी हुई है, जिसने इन फसलों के आवश्यकता से अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति को जन्म दिया है।
  - इसके अलावा, यह किसानों को अन्य फसलों और बागवानी उत्पादों की खेती के लिये हतोत्साहित करता है, जबकि उनकी मांग काफी अधिक है और वे किसानों की आय में वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।
- आर्थिक रूप से असंवहनीय: भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए चावल की आर्थिक लागत लगभग 37 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूँ की लगभग 27 रुपए प्रति किलोग्राम आती है। भारतीय खाद्य निगम की इस आर्थिक लागत की तुलना में चावल और गेहूँ का बाज़ार मूल्य काफी कम है।
  - इसके कारण FCI पर 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
  - इस बोझ का वहन अंतत: केंद्र सरकार को ही करना पड़ता है और इससे कृषि अवसंरचना में निवेश किये जाने वाले धन का विचलन होता है।
- गैर-कृषि क्षेत्र में बाज़ार-संचालित प्रणाली: दुग्ध और पोल्ट्री के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली मौजूद नहीं है और मूल्य निर्धारण कंपनी द्वारा दुग्ध संघों के परामर्श से किया जाता है, न कि सरकार द्वारा।

नोट :

- इसके कारण, दूध उत्पादकों को मंडी प्रणाली से नहीं गुजरना पड़ता जहाँ प्राय: किसानों को उच्च कमीशन, बाज़ार शुल्क और उपकर का भुगतान करना पड़ता है।
- इसके अलावा, ये सहकारी समितियाँ नेस्ले और हटसन (Hatsun) जैसी बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करती हैं, जो अंतत: किसानों की आय बढ़ाने में योगदान करता है।
- इसके साथ ही निजी कंपनियाँ ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना में भी निवेश करती हैं।
- इन कारकों के संयुक्त प्रभाव से दुग्ध क्षेत्र चावल, गेहूँ और गन्ने की तुलना में दो से तीन गुना अधिक तेज़ी से विकास कर रहा है।

- निर्यात पर प्रतिबंध: अनाजों के अधिशेष उत्पादन के साथ ही प्रत्येक वर्ष इन अनाजों का एक बड़ा भाग सड़कर बर्बाद हो जाता है। ऐसा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अधीन अधिरोपित प्रतिबंधों के कारण होता है, जहाँ शर्त लगाई गई है कि भारतीय खाद्य निगम के पास मौजूद अनाज भंडार (जो MSP के कारण भारी सब्सिडी युक्त होता है) का निर्यात नहीं किया जा सकता है।
- MSP योजना के कार्यान्वयन में त्रुटियाँ: वर्ष 2015 में भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर सुझाव देने हेतु गठित शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि MSP का केवल 6% ही किसानों को प्राप्त हो पाता है, जिसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

आगे की राह

- कृषि-संबद्ध क्षेत्र में अधिक निवेश: यह महत्त्वपूर्ण है कि पशुपालन और मत्स्यपालन तथा फलों एवं सब्जियों के क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाए जो अधिक पौष्टिकता प्रदान करते हैं।
  - निवेश करने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि निजी क्षेत्र को कुशल मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जाए।
- FPO को सशक्त बनाना: लाभ उन्मुख बाज़ार से किसानों की रक्षा करना भी काफी महत्त्वपूर्ण है।
  - ऐसे में 'किसान उत्पादक संगठनों' (FPOs) को सशक्त बनाना आवश्यक है। इससे एक ओर तो किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी, दूसरी ओर एक उपयुक्त निवेश वातावरण का निर्माण होगा।
- किसानों के बीच जागरूकता में बढ़ोतरी की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये सभी आवश्यक सूचनाओं का प्रसार न्यूनतम स्तर तक हो, जो कि किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को सबल करेगा।
- किसानों को समयबद्ध भुगतान: किसानों के लिये आजीविका का मूल स्रोत खेती ही है और भुगतान में देरी से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है और तत्काल भुगतान की व्यवस्था किया जाना महत्त्वपूर्ण है। कृषि आजीविका की संवहनीयता के लिये लाभकारी दरों पर शीघ्र भुगतान किया जाना बेहद आवश्यक है।
- सिंचाई की सुविधा: देश की अधिकांश कृषि-जीडीपी वृद्धि अस्थिर है और काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। यह बात उन राज्यों पर विशेष रूप से लागू होती है, जहाँ सिंचाई का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है।
  - उदाहरण के लिये लगभग 99 प्रतिशत सिंचाई कवर वाले पंजाब राज्य में मात्र 19 प्रतिशत सिंचाई कवर वाले महाराष्ट्र की तुलना में आय स्थिरता काफी अधिक है।

निष्कर्ष

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में उत्पादकता में वृद्धि करना, उच्च-मूल्य फसलों का विविधिकरण और लोगों को कृषि क्षेत्र से अन्य उच्च उत्पादकता क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करना अधिक संवहनीय समाधान हैं।

आर्थिक विकास के लिये बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था

संदर्भ

हाल ही में वाणिज्य संबंधी स्थायी विभागीय समिति ने 'भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा' विषयक अपनी 161वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

नोट :

समिति को विभिन्न संगठनों के साथ संवाद से यह ज्ञात हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद, उद्योगों के विकास, रोज़गार सृजन, व्यापार एवं वाणिज्य आदि पर 'बौद्धिक संपदा अधिकार' के आर्थिक प्रभावों के विश्लेषण हेतु भारत द्वारा अभी तक कोई भी विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई स्थानों पर भारतीय व्यवस्था की तुलना अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों से करते हुए टिप्पणियाँ दर्ज की है। इस रिपोर्ट के तहत भारत के लिये अमेरिका या यूरोपीय संघ की नीतियों का अनुकरण करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है।

इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पारितंत्र के प्रभाव को समझने हेतु IPR व्यवस्था का अध्ययन किया जाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

IPR के अध्ययन की आवश्यकता

- अर्थव्यवस्था में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' के योगदान को जानने हेतु: अधिकांश देश इस बात का अध्ययन करते हैं कि 'बौद्धिक संपदा अधिकार' उनकी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है। इसके अलावा, विभिन्न देश इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि जब गैर-लचीले (Inflexible) 'बौद्धिक संपदा अधिकार' स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को प्रभावित करते हैं तो इससे देश को कितना नुकसान होता है।
- अत्यधिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय: भारत में IPR अध्ययन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, जहाँ स्वास्थ्य देखभाल व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और कुछ दवाओं की कीमत आम लोगों की पहुँच से बाहर होती जा रही है।
- अर्थव्यवस्था में IPR का महत्त्वपूर्ण योगदान: 'आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन' (OECD) द्वारा 'विकासशील देशों में IPRs के सुदृढ़ीकरण हेतु नीति पूरक-2010' (Policy Complements to the Strengthening of IPRs in Developing Countries-2010) शीर्षक से जारी एक अध्ययन के मुताबिक,
  - ट्रेडमार्क संरक्षण में 1% की वृद्धि से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 3.8% की वृद्धि होती है;
  - पेटेंट संरक्षण में 1% सुधार से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 2.8% की वृद्धि होती है; और
  - कॉपीराइट संरक्षण में 1% सुधार से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 6.8% की वृद्धि होती है।
- विदेशी मुद्रा को प्रोत्साहन: माना जाता है कि भारत में आईपीआर व्यवस्था को मज़बूत करने से विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, जो आर्थिक विकास को बढ़ाने और देश में उत्पादकता तथा रोज़गार के अवसर पैदा करने में मददगार होगा।

भारत में IPR से संबद्ध समस्याएँ

- पेटेंट की कम संख्या: वर्ष 2019 में भारत में केवल 24,936 (~25000) पेटेंट प्रदान किये गए, जो कि अमेरिका और चीन में क्रमश: 3,54,430 और 4,52,804 पेटेंटों की तुलना में काफी कम है।
  - इसके साथ ही भारत में पेटेंट की संख्या में वृद्धि की दर भी अमेरिका और चीन की तुलना में अधिक संतोषप्रद या प्रभावशाली नहीं रही है।
- जालसाजी और पायरेसी: जालसाजी (Counterfeiting) और पायरेसी (Piracy) सहित अन्य बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध IPR के लिये बढ़ते खतरों में शामिल हैं, जिन्हें उपयुक्त उपायों के माध्यम से विनियमित और कुशलता से नियंत्रित किया जा सकता है।
- डेटा अनन्यता (Data Exclusivity): विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्राय: यह आरोप लगाती हैं कि भारतीय कानून, दवा या कृषि-रासायनिक उत्पादों के व्यावसायिक अनुमोदन हेतु आवेदन करते समय सरकार को प्रस्तुत किये गए परीक्षण डेटा के अनुचित उपयोग से उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। इसके लिये एक विशिष्ट 'डेटा अनन्यता कानून' (Data Exclusivity Law) की मांग की जा रही है।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिये भारत, 'संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि' (United States Trade Representative- USTR) की 'प्राथमिकता निगरानी सूची' (Priority Watch List) में बना हुआ है।
  - USTR द्वारा जारी उसकी नवीनतम 'स्पेशल 301' रिपोर्ट बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में भारत को 'दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक' करार दिया गया है।

नोट :

आगे की राह

- राज्य सरकारों की भूमिका: राज्य सरकारें बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में भारतीय नीति के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत अपनी स्वयं की रणनीतियों एवं नीतियों का निर्माण कर एक सुदृढ़ IPR व्यवस्था के विकास में रचनात्मक भागीदार की भूमिका निभा सकती हैं।
  - उन्हें उन नीतियों के विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिये, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्त्व पर लोगों को संवेदनशील बनाने, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने एवं राज्यस्तरीय नवाचार परिषदों की स्थापना करने, IPR कानूनों के प्रवर्तन और बौद्धिक संपदा अपराधों पर अंकुश लगाने पर केंद्रित हों।
- नागरिक समाज की भागीदारी: नागरिक समाज के सदस्यों के सुझावों को शामिल करना भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारत के विकास में एक प्रमुख योगदानकर्त्ता रहे हैं।
- गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना: शिल्पकारों एवं कारीगरों से संबद्ध और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों को लक्षित समूहों तक IPR के संबंध में जागरूकता के प्रसार के लिये संलग्न किया जा सकता है।
  - इसके साथ ही, IPR को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक 'टूल किट' प्रदान किये जा सकते हैं जिनका उपयोग प्रशिक्षण में किया जा सकता है।
- MSMEs, छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ देश के टीयर- I, टियर- II और दूरदराज़ के क्षेत्रों में IPR सुविधा केंद्र स्थापित किये जाने चाहिये।
- वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना: वाणिज्य विभाग द्वारा MSMEs, छोटे व्यापारियों और स्थानीय कारीगरों के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के दौरान प्रतिभागियों को उनके उत्पादों में नवीनता या असाधारणता की पहचान करने और IPRs के रूप में इन नवीनताओं के संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाना चाहिये।
- IPR नीति की समीक्षा: नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में नए और उभरते रुझानों के मद्देनज़र मौजूदा नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना बेहद महत्त्वपूर्ण है, जिसके लिये एक सुदृढ़ तंत्र की आवश्यकता है ताकि IPRs के रूप में उनका संरक्षण किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, वर्तमान विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की प्रासंगिकता और उपयोगिता का भी लाभ लिया जा सकता है।
  - AI और AI-संबंधी आविष्कारों तथा समाधानों की IPR के रूप में सुरक्षा के लिये अधिकारों की एक अलग श्रेणी का निर्माण किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत जैसे विकासशील देश के लिये आर्थिक विकास को कल्याणकारी मुद्दों के साथ संतुलित करना काफी महत्त्वपूर्ण है। एक कुशल एवं न्यायसंगत बौद्धिक संपदा प्रणाली सभी देशों को आर्थिक विकास और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में बौद्धिक संपदा की क्षमता का अनुभव कराने में मदद कर सकती है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

हिंद-प्रशांत क्षेत्र और 'ऑकस' समझौता

संदर्भ

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की है, जिसे 'ऑकस' (AUKUS) का संक्षिप्त नाम दिया गया है। हालाँकि फ्राँस ने इस परमाणु गठबंधन का विरोध किया है।

इस गठबंधन की घोषणा करते हुए चीन का नाम लिये बिना अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा की कि "तेज़ी से उभर रहे खतरों से निपटने के लिये" अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर-वारफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं परमाणु पनडुब्बी निर्माण जैसे क्षेत्रों में खुफिया एवं उन्नत तकनीक साझा करेंगे।

'AUKUS' के गठन के पक्ष में तर्क

- ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा घोषित इस गठबंधन को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते के रूप में देखा जा सकता है, जो चीन का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
  - यह ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अमेरिका द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों के निर्माण में सक्षम करेगा।
- ये तीनों राष्ट्र पहले से भी एक-दूसरे से संबद्ध रहे हैं—अमेरिका और ब्रिटेन नाटो सहयोगी हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और अमेरिका 'ANZUS' समझौते से एक-दूसरे से संबद्ध हैं।
  - तीनों राष्ट्र 'फाइव-आई' (Five-Eyes) इंटेलिजेंस गठबंधन के भी सदस्य हैं।
- हालाँकि, इस घोषणा ने इस मंच की भविष्य की प्रासंगिकता और इसके दीर्घकालिक अस्तित्त्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये पहले ही 'क्वाड्रीलेटरल सिक्यूरिटी डायलॉग' (QUAD) की स्थापना की जा चुकी है।
- इस विस्तृत स्तर के गठबंधन में पूर्व की तुलना में कमज़ोर पोस्ट-ब्रेग्जिट ब्रिटेन को शामिल करना भी आलोचना का शिकार हो सकता है।

क्वाड और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव

- इस बात की आशंका प्रकट की जा रही है कि 'AUKUS' अमेरिका-यूरोपीय संघ के संबंधों एवं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और 'इंडो-पैसिफिक' क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को कमज़ोर कर सकता है।
- आरंभिक प्रतिक्रिया के तौर पर फ्राँस ने संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस और भारत के विदेश मंत्रियों की एक निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया है।
  - पिछले कुछ वर्षों से एक उभरती हुई हिंद-प्रशांत संरचना में यह त्रिपक्षीय संलग्नता एक महत्त्वपूर्ण तत्व बन गई थी। इस प्रकार, बैठक का रद्द किया जाना त्रिपक्षीय संलग्नता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्वाड और 'AUKUS' एक-दूसरे को सुदृढ़ करेंगे या परस्पर अनन्य बने रहेंगे।
  - कुछ ऐसी मान्यताएँ भी हैं कि 'एंग्लोस्फीयर राष्ट्रों' यानी 'आंग्ल प्रभाव क्षेत्र के राष्ट्रों' (Anglosphere nations)—जो ब्रिटेन के साथ साझा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध रखते हैं, के बीच एक-दूसरे को लेकर अधिक भरोसा है।

भारत पर प्रभाव

- भारत का बहिर्वेशन: 'AUKUS' का निर्माण चीन को एक कड़ा संदेश भेजने का प्रयास है। हालाँकि, चीन द्वारा इस गठबंधन को एक 'बहिर्वेशनकारी मंच' (Exclusionary Bloc) कहा जाना क्वाड तथा मालाबार फोरम के दो सदस्यों भारत और जापान के लिये भी मंथन का विषय है, जिन्हें नए समूह से बाहर रखा गया है।

नोट :

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व के लिये अमेरिका के नए भागीदार:
  - भारत-अमेरिका सुरक्षा संबंधों की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ: वर्ष 2008 में भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर; वर्ष 2012 में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की शुरूआत; वर्ष 2016 में अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा भारत को 'प्रमुख रक्षा सहयोगी' का दर्जा प्रदान करना; भारत को टियर-1 का दर्जा प्रदान करना जो उसे उच्च-प्रौद्योगिकी वस्तुओं के निर्यात में सक्षम बनाता है; और वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच "2+2 वार्ता" की शुरूआत। वर्ष 2020 में चौथे तथा अंतिम 'संस्थापक समझौते' (Foundational Agreements) पर हस्ताक्षर के साथ यह माना गया कि दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा संबंध के मार्ग की अंतिम बाधा भी दूर कर ली गई है।
  - लेकिन 'AUKUS' की स्थापना के साथ यह आशंका प्रबल हुई है कि संभवत: यह अमेरिकी नीति में पुन: परिवर्तन की शुरुआत है, जहाँ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व के लिये ऑस्ट्रेलिया के रूप में एक नए साथी की खोज की जा रही है।

चीन की प्रतिक्रिया

- चीन ने दुनिया भर के देशों से 'आधिपत्य और विभाजन' का विरोध करने का आह्वान किया है।
  - चीन ने स्पष्ट किया है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमज़ोर करने वाले, संघर्ष पैदा करने वाले और तथाकथित नियम निर्धारण के बैनर तले विभाजन पैदा करने वाले ऐसे कृत्यों का विरोध करता है।
- वहीं चीन स्वयं कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने और उन्हें दुर्गीकृत हवाई ठिकानों में बदलने की राह पर आगे बढ़ रहा है।
  - अमेरिका और सहयोगी देशों की नौसेनाओं द्वारा नियमित रूप से "नौवहन की स्वतंत्रता" अभियानों का कार्यान्वयन न तो चीन को रोक सका है, न ही उसे निरुत्साहित कर सका है।
- चीन ने भारतीय सीमा पर इससे भी अधिक आक्रामक रुख अपनाया है, जहाँ उसने भारतीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर दावा जताने के लिये व्यापार पैमाने पर सैन्य तैनाती का इस्तेमाल किया है और इसके कारण जून, 2020 से संघर्ष की भी स्थिति बनी हुई है।
  - भारत, निस्संदेह एक बड़ी काफी आर्थिक कीमत पर, जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी ज़मीन पर खड़ा रहा है। इस खतरनाक टकराव के अभी जारी बने रहने की संभावना है।
- क्वाड ने, संभवत: इस भय से कि उसे 'एशियाई नाटो' करार दिया जाएगा, न तो कोई चार्टर बनाया है और न ही किसी उल्लेखनीय तरीके से कोई कदम आगे बढ़ाया है।
  - दूसरी ओर, चीन ने क्वाड को यह कहकर खारिज करने का प्रयास किया है कि यह "सुर्खियाँ बटोरने वाला एक विचार है जो जल्द विलुप्त हो जाएगा।"

आगे की राह

- जबकि भारत-अमेरिका संबंधों की में हो रही बढ़ोतरी भारतीयों के लिये राहतमंद है, किंतु भारत को इस द्विपक्षीय आख्यान में अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अस्पष्ट वास्तविकताओं के प्रति सतर्क बने रहना चाहिये।
  - 'भारत को एक महान शक्ति बनाने के लिये' सहायता करने के अमेरिकी प्रस्ताव और इस घोषणा कि 'दुनिया के दो महान लोकतंत्रों के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएँ भी होनी चाहिये' को अति-उत्साह से ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये और इन पर शांतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिये।
- माना जाता है कि चीन ने अपनी स्थिति को पिछले 30 वर्षों में अमेरिका द्वारा प्रदत्त या चोरी की गई उन्नत प्रौद्योगिकी से काफी मज़बूत किया है।
  - भारत को अपनी 'रणनीतिक साझेदारी' दर्शाने हेतु अमेरिकी कंपनियों से लगभग 22 बिलियन डॉलर के सैन्य हार्डवेयर की खरीद करनी पड़ी है जो 'आत्मनिर्भरता' और 'बाह्य निर्भरता से मुक्ति' के भारतीय लक्ष्य के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट प्रतिगामी कदम है।
  - हमें स्टील्थ फाइटर्स, जेट इंजन, उन्नत रडार और पनडुब्बियों के साथ-साथ विमान-वाहकों के लिए परमाणु प्रणोदन सहित ऑस्ट्रेलिया को प्रदान की जा रही सभी प्रौद्योगिकियों (उनके सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान सहित) की भी आवश्यकता है।
- अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिये भारत को एकाधिकारवाद के विरुद्ध सुरक्षा के साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के लिये पर्याप्त समय या अवसर की आवश्यकता होगी।
  - यह राहत उसे उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी।

नोट :

- अपने स्वयं के संघर्षों से जूझने की तैयारी करते हुए भारत को बाहरी संतुलन की तलाश करने की आवश्यकता होगी।
- 'वास्तविक राजनीति' (Realpolitik) की माँगों और आवश्यकताओं के अनुरूप उसे पुरानी धारणाओं को तोड़ने और नई साझेदारियों में प्रवेश करने की भी आवश्यकता है।

- फ्राँस और यूरोप के साथ मज़बूत संबंध का निर्माण करना: लंबे समय तक यूरोप भारत के लिये राजनयिक रूप से गतिहीन क्षेत्र ही रहा था। भारत ने जब से यह समझा कि छोटे से लक्ज़मबर्ग से लेकर उभरते हुए पोलैंड तक प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र के पास भारत के लिये बहुत कुछ है, तब से यूरोप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।
  - पिछले कुछ वर्षों में फ्राँस के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी में तेज़ी आई है। उदाहरण के लिये भारत सरकार ने हिंद महासागर की सुरक्षा के मामले में फ्राँस के साथ मिलकर कार्य करने की दिल्ली की पूर्व की अनिच्छा का त्याग कर दिया है।
  - पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ब्रिटेन के साथ एक नई साझेदारी के निर्माण का प्रयास किया है, जो विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक प्रमुख वित्तीय केंद्र एवं एक प्रौद्योगिकीय शक्ति है और वैश्विक मामलों में काफी महत्त्वपूर्ण है।
- भारत को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है:
  - सर्वप्रथम भारत को फ्राँस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को याद कराना होगा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में उनके साझा हित निहित हैं और आपसी झगड़े से इस बड़े लक्ष्य को कमज़ोर करने का खतरा है।
  - दूसरा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी निरोध के लिये भू-भाग की विशाल आवश्यकताओं को उजागर करना और यह ध्यान दिलाना कि 'AUKUS' द्वारा रेखांकित किये गए सभी क्षेत्रों (प्रभावी अंतर्जलीय क्षमताओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर वारफेयर तक) में उच्च प्रौद्योगिकी तथा रक्षा-औद्योगिक सहयोग के विकास हेतु अतिव्यापी गठबंधनों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस और अन्य यूरोपीय देशों के लिये हिंद-प्रशांत भागीदारों के साथ सहयोग करने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

निष्कर्ष

भारत के हित फ्राँस और यूरोप के साथ-साथ क्वाड और 'एंग्लोस्फीयर राष्ट्रों' के साथ भी गहन रणनीतिक सहयोग में निहित हैं। हिंद-प्रशांत गठबंधन में विभाजन को रोकने के लिये पश्चिम के साथ भारत के विविध संबंधों का पूर्ण लाभ उठाया जाना चाहिये।

The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में डिजिटल प्रतिभा: अवसर और चुनौतियाँ

संदर्भ

कोविड-19 महामारी के कारण उद्यमों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेज़ी आई है, जिससे सभी संगठनों के लिये महत्त्वपूर्ण अवसरों का निर्माण हुआ है। भारत में प्रौद्योगिकी उद्योग की ग्राहक-केंद्रितता के मद्देनज़र मांग वातावरण बेहद सकारात्मक है और कई कंपनियों ने इस वित्तीय वर्ष में दोहरे अंकों में वृद्धि करने की घोषणा की है।

प्रतिभा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिये कंपनियाँ एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही हैं, जिसके अंतर्गत आपूर्ति पूल में वृद्धि हेतु नई नियुक्तियाँ, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से री-स्किलिंग कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ऑन-द-जॉब लर्निंग हेतु संलग्न-प्रतिभा कौशल (Adjacent-Talent Skills) की तैनाती और कर्मचारियों को एक समग्र रोज़गार अनुभव प्रदान करना आदि शामिल हैं।

एक उभरते प्रौद्योगिकी पारितंत्र में भारत के पास विश्व का डिजिटल प्रतिभा केंद्र बनने का एक बड़ा अवसर है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रतिभा की मांग, उसकी आपूर्ति की तुलना में 20 गुना अधिक हो जाएगी।

डिजिटल प्रतिभा

- इसका आशय प्रतिभाशाली कर्मियों के ऐसे समूह से है, जो मौजूदा डिजिटल तकनीकों को अपनाने और उनका उपयोग करने में सक्षम हैं।
- डिजिटल प्रतिभा की आवश्यकता: विश्व आर्थिक मंच (WEF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'अपस्किलिंग' (Upskilling) में निवेश वर्ष 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और भारतीय अर्थव्यवस्था में 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर सकता है।
- यहाँ 'डिजिटल प्रतिभा' का अभिप्राय पारंपरिक 'STEM' विषयों (S- विज्ञान, T-तकनीक, E-इंजीनियरिंग और M-गणित) में शिक्षा से नहीं है।
  - इसके बजाय, 'डिजिटल प्रतिभा' की अवधारणा डिजिटल-फर्स्ट मानसिकता से उत्पन्न होती है, जिसमें डेटा विश्लेषण जैसी हार्ड डिजिटल स्किल्स और 'स्टोरीटेलिंग' तथा 'कम्फर्ट विद एम्बिग्युटी' (Comfort with Ambiguity) जैसी सॉफ्ट डिजिटल स्किल्स शामिल हैं।
  - अब वह युग नहीं रहा जब कोई इंजीनियर्स बस कमरे में बैठ कर कोड लिखते थे। आज किसी डेटा साइंटिस्ट के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण कौशल 'स्टोरीटेलिंग' है।

भारतीय संभावनाएँ

- भारत को डिजिटल युग में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिये प्रतिभा विकास के पारंपरिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
  - 'टैलेंट हब' बनने और दिखने की होड़ पूरी दुनिया में आकार ले रही है।
  - उदाहरण के लिये संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 'ग्रीन वीज़ा' शुरू करने, 'गोल्डन वीज़ा' के लिये पात्रता का विस्तार करने और शीर्ष प्रौद्योगिकी कर्मियों को आकर्षित करने संबंधी योजनाओं की घोषणा की है, ताकि वह प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिये एक पसंदीदा निवेश केंद्र बन सके।
  - ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देश उच्च-कौशल प्रतिभा को आकर्षित करने के प्रयासों पर पुनर्विचार कर रहे हैं, जिसमें जोखिमयुक्त क्षेत्रों के लिये फास्ट-ट्रैकिंग वीज़ा और अत्यधिक कुशल आवेदकों के लिये वीज़ा को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं।
- भारत के लिये सबसे बड़ा अवसर भविष्य के विश्व हेतु डिजिटल प्रतिभा का विकास करना है। इस प्रकार भारत दुनिया का 'टैलेंट लीडर' बन सकता है।

नोट :

- भारत में मौजूद प्रतिभा देश के लिये सबसे बड़ा प्रतिस्पर्द्धी लाभ होगा। व्यवसाय वहीं जाएंगे, जहाँ बेहतर प्रतिभा उपलब्ध होगी और वे उसी आधार पर अपने निवेश निर्णय लेंगे।

डिजिटल प्रतिभा में कमी के कारण

- डिजिटल कौशल की कमी: कौशल की कमी के कारण वर्ष 2019 में 53% भारतीय व्यवसाय नई नियुक्तियों में असमर्थ रहे।
  - इस प्रकार, डिजिटल कौशल की कमी वर्तमान में प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
- 'ब्रेन ड्रेन' की समस्या: प्रमुख समस्याओं में से एक यह भी है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित लोग ही प्राय: हमारे देश में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे अवसरों के लिये दूसरे देशों की ओर पलायन कर जाते हैं।
  - इसे 'ब्रेन ड्रेन' अथवा भारत से कुशल कामगारों के बड़े पैमाने पर पलायन के रूप में जाना जाता है।
- निजी संस्थानों के गुणवत्ता मानक: ऐसे निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या काफी अधिक है, जिनकी शिक्षण गुणवत्ता काफी खराब है और जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिये संचालित होते हैं।
  - ये कॉलेज अपने परिसर में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं।
- पारिश्रमिक की कमी: प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।
  - भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जहाँ इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद प्राय: प्रतिभाशाली छात्र मार्केटिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाने के लिये MBA की भी पढ़ाई करते हैं।
- उच्च बेरोज़गारी: देश में असमानता बढ़ रही है और ग्रामीण एवं शहरी संकट में भी वृद्धि हो रही है। प्रवासन बढ़ रहा है, अचल संपत्ति की कीमतों में गिरावट आ रही है, व्यय में वृद्धि हो रही है, और मज़दूरी स्थिर या गतिहीन बनी हुई है। ये सारी समस्याएँ कोई नई नहीं हैं, बल्कि कुछ अरसे से बनी हुई हैं।
- अनुसंधान एवं विकास की कमी: भारत की डिजिटल प्रतिभा प्राय: सैलरी पैकेज पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है और नवाचार की अनदेखी करती है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का केंद्रित कार्यान्वयन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दीर्घकालिक ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है और इसके प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना भी आवश्यकता है।
  - निरंतर लर्निंग, स्किल क्रेडिट, विश्वस्तरीय अकादमिक नवाचार, अनुभवात्मक लर्निंग, संकाय प्रशिक्षण—इन सभी विषयों को सही ढंग से संबोधित किये जाने की आवश्यकता है।
- वैकल्पिक 'टैलेंट पूल' का निर्माण: छोटे शहरों में भी डिजिटल क्षमताओं का निर्माण किया जाना चाहिये; हाइब्रिड कार्य मानदंडों के साथ अधिकाधिक महिलाओं को कार्य-धारा में शामिल किया जाए; और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाया जाए।
  - इन कार्यक्रमों के लिये उद्योग द्वारा प्रदत्त कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility-CSR) वित्तपोषण का लाभ उठाया जा सकता है।
- कौशल को प्रोत्साहन देना: प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आरंभिक दौर में भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के वैश्विक फुटप्रिंट के निर्माण में कर प्रोत्साहनों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी।
  - हमें अब ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिये, जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकताओं के लिये, बल्कि पूरे पारितंत्र के लिये कौशल को प्रोत्साहित करें।
- नवोन्मेषी लर्निंग मॉडल्स: नवोन्मेषी लर्निंग मॉडल्स को अपनाते हुए न केवल प्रमाणपत्र के लिये, बल्कि मूल्यांकन के लिये भी व्यापक पैमाने पर 'शिक्षुता कार्यक्रमों' का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - विश्वस्तरीय 'फ्री कंटेंट' के निर्माण में निवेश किया जाना चाहिये जिसका लाभ कोई भी उठा सकता हो और यह प्रमाणन की एक विश्वसनीय प्रणाली के साथ संरेखित हो।

नोट :

- प्रशिक्षण का लोकतंत्रीकरण: लोगों में कौशल के विकास के लिये सभी बाधाओं को दूर करना आवश्यक होगा। अनावश्यक प्रवेश योग्यता और पात्रता मानदंड को समाप्त करना आवश्यक है। प्रवेश में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिये, लेकिन निकास प्रक्रिया गुणवत्ता-नियंत्रित हो।

निष्कर्ष

भारत को विकास और नवाचार के अगले चरण को उत्प्रेरित करने के लिये न केवल घरेलू प्रतिभाओं की वृद्धि पर लक्षित रणनीतियों पर विचार करना चाहिये, बल्कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने की दिशा में भी कार्य करना चाहिये। इसके लिये री-स्किलिंग में लगातार निवेश के साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली संस्कृति को अपनाने की भी आवश्यकता है। एक सुदृढ़ डिजिटल प्रतिभा पारितंत्र का निर्माण हमें भविष्य के लिये तैयार होने और डिजिटल भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकने में सक्षम करेगा।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

ई-श्रम पोर्टल: सुधार की संभावनाएँ

हाल ही में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (MoLE) द्वारा असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) के सृजन के लिये ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल लॉन्च किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को असंगठित कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देने के बाद यह पोर्टल अस्तित्व में आया है।

हालाँकि, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अधिनियमन के दृष्टिकोण से इस अत्यंत आवश्यक कदम के अस्तित्व में आने में लगभग एक दशक की देरी हुई है।

अनौपचारिक क्षेत्र की समस्याओं को संबोधित करने की दिशा में यह पहल तो सराहनीय है ही, नया पोर्टल कामगारों के डेटा संरक्षण, डिजिटल निरक्षरता जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताता है।

असंगठित क्षेत्र और ई-श्रम

- कुल हिस्सेदारी: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS 2018-19) के अनुसार कामगारों के 90% अनौपचारिक क्षेत्र से संबद्ध थे (465 मिलियन कुल कामगारों में से 419 मिलियन)।
- महामारी का प्रभाव: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनौपचारिक कामगार उनके रोज़गार की मौसमी प्रकृति और औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों की कमी के कारण महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए।
- ई- श्रम पोर्टल: यह लगभग 398-400 मिलियन असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने और उन्हें 12 अंकीय विशिष्ट संख्या वाला ई-श्रम कार्ड जारी करने की इच्छा रखता है।
  - महत्त्व:
    - दुर्घटना कवरेज: पोर्टल पर पंजीकरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 2 लाख रुपये प्रति वर्ष के दुर्घटना कवरेज का पात्र होगा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है।
    - कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण: पोर्टल असंगठित कामगारों के लाभ के लिये उपलब्ध सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं को एकीकृत करने का उद्देश्य रखता है।
    - अंतर-राज्यीय प्रवासियों के लिये लाभप्रद: पोर्टल अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को उनकी अवस्थिति पर ध्यान दिये बिना कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
    - सामाजिक सुरक्षा लाभ: असंगठित क्षेत्र के कामगार बीमा कवरेज, मातृत्त्व लाभ, पेंशन, शैक्षिक लाभ, भविष्य निधि लाभ, आवास योजनाओं आदि के रूप में उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

संबंधित मुद्दे

- टेली-घनत्व और डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर: भारत में अभी भी उल्लेखनीय डिजिटल डिवाइड मौजूद है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अनुसार, 30 जून 2021 तक समग्र टेली-घनत्व (किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) 88.07% की तुलना में ग्रामीण टेली-घनत्व 60.10% पाया गया।
  - डिजिटल साक्षरता के निम्न स्तर के कारण यह समस्या और जटिल बनती है।
- आधार संबंधित समस्याएँ: आधार (Aadhaar) की शर्त आरोपित करना आधार कार्ड रहित कामगारों को प्रक्रिया से बहिर्वेशित कर देगा।
  - असंगठित क्षेत्र के कई कामगारों को बार-बार मोबाइल नंबर बदलने पड़ते हैं और संभव है कि वे हमेशा आधार-लिंक्ड मोबाइल का उपयोग करने में सक्षम न हों।
    - उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आधार-सीडिंग पहले से ही एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

नोट :

- इसके अलावा, आधार सत्यापन प्रणाली को कई बार प्रौद्योगिकी विफलताओं का सामना करना पड़ा है जिसके कारण कल्याणकारी लाभों से बहिर्वेशन की गंभीर समस्याएँ सामने आई हैं।

- डेटा-सुरक्षा संबंधी मुद्दे: कड़े डेटा संरक्षण कानून के अभाव में, पोर्टल की प्रमुख चिंताओं में से एक डेटा-सुरक्षा और इसका संभावित दुरुपयोग है क्योंकि यह एक वृहत आकार का डेटाबेस है।
  - केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ डेटा साझा करना होगा जिनकी डेटा सुरक्षा क्षमता अलग-अलग है।
- कामगारों का गैर-समावेशी कवरेज: EPF और ESI के दायरे में शामिल कामगारों के बहिर्वेशन से लाखों संविदा कामगार (contract workers) असंगठित कामगारों के दायरे से बाहर कर दिये जाएँगे।
  - इसके अलावा, यह पोर्टल केवल 16 से 59 वर्ष की आयु तक के असंगठित कामगारों के लिये उपलब्ध है। इस प्रकार, NDUW 59 वर्ष से अधिक आयु के कामगारों की एक बड़ी संख्या को अपने दायरे से बाहर कर देता है जो आयु-आधारित भेदभाव को दर्शाता है।
- 'गिग' कामगारों के बारे में अस्पष्टता: हालाँकि श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 'गिग' कामगारों (Gig Workers) को इस प्रक्रिया में शामिल किया है, अन्य तीन श्रम संहिताएँ उन्हें कामगार के रूप में शामिल नहीं करतीं, न ही सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) उन्हें विशेष रूप से शामिल करती हैं, जब तक कि वे 'self-employed' या 'wage workers' घोषित नहीं हों।

आगे की राह

- पहचान के लिये विभिन्न माध्यमों को अनुमति देना: पंजीकरण के लिये आधार को अनिवार्य बनाना असंवैधानिक और बहिर्वेशनकारी है। किसी कामगार की पहचान के सत्यापन के लिये सरकार द्वारा प्रदत अन्य पहचान पत्रों के प्रयोग को भी अनुमति दी जानी चाहिये।
  - कामगारों को सभी प्रकार के लाभों के कुशल और रिसाव-रहित वितरण के लिये ट्रिपल लिंकेज—वन-नेशन-वन-राशन कार्ड (ONORC), ई-श्रम कार्ड और चुनाव आयोग कार्ड का लिंकेज किया जा सकता है।
  - साथ ही, कामगारों को विभिन्न नंबरों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये क्योंकि इससे पोर्टल के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि होगी।
- ऑफलाइन पंजीकरण: चूँकि सभी कामगार ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँच में सक्षम नहीं होंगे, ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।
  - इस विषय में सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) का लाभ उठाया जा सकता है जो ऑफलाइन पंजीकरण के इच्छुक कामगारों के लिये 'पंजीकरण शिविर' का आयोजन कर सकते हैं।
- बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना: परियोजना की सफलता विभिन्न हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
  - विभिन्न भाषाओं के विविध मीडिया आउटलेट्स को शामिल करते हुए व्यापक और अभिनव प्रसार अभ्यास।
  - सरकार द्वारा हितधारकों की माँग पर शिविरों का आयोजन।
  - शिकायत निवारण तंत्र की समाधान दक्षता।
  - सूक्ष्मस्तरीय संचालन।
- सर्वेक्षण और निगरानी: पंजीकरण प्रणाली की दक्षता का आकलन करने के लिये सरकार को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पंजीकरण के आँकड़े प्रकाशित करना चाहिये।
  - भ्रष्टाचार को लेकर भी एक चिंता है क्योंकि इंटरनेट प्रदाता जैसी मध्य-सेवा एजेंसियां ई-श्रम कार्डों को पंजीकृत करने और उनका प्रिंट लेने के लिये अत्यधिक शुल्क वसूल कर सकती हैं।
    - इसलिये, निगरानी एजेंसियों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- कोविड-19 संकट ने हमें सुरक्षा जाल के निर्माण का महत्त्व समझाया है और भारत के असंगठित क्षेत्र के लिये एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है।

नोट :

- ई-श्रम अब तक अदृश्य रहे कामगारों को आवश्यक दृश्यता प्रदान करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रणाली है। यह उन्हें श्रम बाज़ार नागरिकता दस्तावेज (Labour Market Citizenship Document) प्रदान करेगा।
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पंजीकरण की यह व्यवस्था किसी व्यक्ति को सामाजिक सहायता और लाभ प्राप्त करने से बहिर्वेशित या वंचित न करे।

सु-शहरीकरण': महत्त्व और चुनौतियाँ

संदर्भ

शहरों को प्राय: गरीबी उन्मूलन की एक तकनीक के रूप में देखा जाता है; आँकड़ों की मानें तो न्यूयॉर्क शहर की समग्र जीडीपी रूस की जीडीपी के समान है, जबकि न्यूयॉर्क में रूस की तुलना में केवल 6% आबादी और 0.00005% भूमि ही मौजूद है।

हालाँकि कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण इलाकों की उस धारणा को प्रोत्साहन दिया है, जिसमें माना जाता है कि एक तकनीक के रूप में शहर, प्रवासियों के प्रति उनकी शत्रुता, रोग संक्रमण हॉटस्पॉट प्रवृत्ति और डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप कार्य की घटती हुई केंद्रीयता के कारण अवांछनीय हैं।

किंतु, कोविड-19 को हमारे शहरों को अधिक शक्ति और धन के साथ सशक्त बनाकर 'सु-शहरीकरण' (Good Urbanization) को उत्प्रेरित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

डिबेट: द विज़ार्ड vs प्रोफेट

- शहरों का 'वांछनीय या अवांछनीय' होना पोस्ट-कोविड समय में बहस के एक विषय के रूप में उभरा है। यह 1960 के दशक में भोजन के बारे में उभरी एक बहस की याद दिलाता है जिसे चार्ल्स मान (Charles Mann) की महत्त्वपूर्ण किताब 'द विज़ार्ड एंड द प्रोफेट' में समेटा गया था।
- नॉर्मन बोरलॉग (Norman Borlaug)—यानी 'द विज़ार्ड'—एक नोबेल विजेता वैज्ञानिक हैं, जिनका मानना था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी चुनौतियों का सामना कर लेंगे और उन्होंने वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आगाज़ किया था।
- विलियम वोग्ट (William Vogt) —यानी 'द प्रोफेट'—का मानना था कि समृद्धि इंसानों को मितव्ययिता का अवसर दिये बिना बर्बाद कर देगी और इस प्रकार उन्होंने पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का आगाज़ किया था।
- जहाँ एक ओर नॉर्मन बोरलॉग ने 'नवप्रवर्तन' (Innovation) का नारा दिया, वहीं विलियम वोग्ट ने पीछे हटने (Retreat) का आह्वान किया।

शहरीकरण: एक समाधान या समस्या

- यदि शहरीकरण की प्रक्रिया एक उचित समय-सीमा के भीतर घटित होती है, तो यह कई सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार, शहरीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभावों में रोज़गार के अवसरों का सृजन, तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक प्रगति, बेहतर परिवहन एवं संचार, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक एवं चिकित्सा सुविधाएँ और जीवन स्तर में सुधार आदि शामिल हैं।
- वहीं यदि शहरीकरण की प्रकिया लंबे समय तक अनियमित रूप से जारी रहती है तो इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
  - शहरीकरण लोगों को नगरों और कस्बों की ओर आकर्षित करता है जिससे उच्च जनसंख्या वृद्धि होती है। शहरी केंद्रों में वास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ आवासों की निरंतर कमी की स्थिति बनती है।
  - महानगर या मेगासिटी (10 मिलियन से अधिक आबादी) उन लोगों के लिये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती है, जो अमीर या शक्ति-संपन्न नहीं हैं।
  - बेरोज़गारी की समस्या शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है और शिक्षित लोगों के बीच यह और भी गंभीर होती है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर के आधे से अधिक बेरोज़गार युवा महानगरीय शहरों में रहते हैं।
  - शहरी क्षेत्रों में निवास की लागत बहुत अधिक होती है। जब यह लागत, अप्रत्याशित वृद्धि तथा बेरोज़गारी के साथ मिलती है तो इससे गरीब लोगों की चुनौतियाँ और भी गंभीर हो जाती हैं और अवैध बस्तियों का प्रसार होता है।

नोट :

- विश्व की 33 मेगासिटीज़ में से 26 विकासशील देशों में हैं, क्योंकि उनके ग्रामीण क्षेत्रों में विधि के शासन, आधारभूत अवसंरचना और उत्पादक वाणिज्य की कमी होती है।
  - इसके अतिरिक्त, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेगासिटीज़ के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र अनुपयुक्त योजना, गैर-अनुमेय अवसंरचना, किफायती आवास की कमी और बदतर सार्वजनिक परिवहन जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।
- हालाँकि, मेगासिटीज़ अनिवार्य रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं। उदाहरण के लिये टोक्यो में जापान की आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा मौजूद है, किंतु वहाँ योजना एवं निवेश के माध्यम से ऐसी व्यवस्था निर्मित की गई है, जिसमें शिक्षक, नर्स और पुलिसकर्मी जैसे आवश्यक कर्मचारियों को कार्यस्थल के लिये शायद ही कभी दो घंटे से अधिक की यात्रा करनी पड़ती हो।
  - शहर की गुणवत्ता के लिये सबसे व्यावहारिक मीट्रिक इतालवी भौतिक विज्ञानी 'सेसारे मार्चेटी' (Cesare Marchetti) ने पेश किया है जो मानते हैं कि 30 मिनट सबसे स्वीकार्य, या कहा जाए सभ्य यात्रा समय होता है (जबकि पैदल यात्रा से लेकर साइकिल, ट्रेन और कारों ने परिवहन का तरीका बदल दिया है)।
  - बंगलुरू जैसे शहर में 'मार्चेटी स्थिरांक' (Marchetti Constant) को लागू करना लगभग असंभव ही है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक के कारण टैक्सी और ऑटो 8 किमी/घंटे की औसत गति से चलते हैं।

भारत में शहरीकरण की प्रमुख समस्या: कमज़ोर स्थानीय शहरी निकाय

- केंद्र सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 34 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का कुल वार्षिक व्यय लगभग 40 लाख करोड़ रुपए वहीं 15वें वित्त आयोग के अनुमान के मुताबिक, 2.5 लाख से अधिक स्थानीय निकाय प्रतिवर्ष केवल 3.7 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करते हैं।
- इस असमान व्यय के कई कारण हैं:
  - बिजली: राज्य सरकार के विभागों द्वारा पानी, बिजली, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा आदि विषयों को लेकर स्थानीय सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है (यदि नगर निकायों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाए तो संपत्ति कर संग्रह 100% होगा)।
  - स्वायत्त: ग्रामीण एवं शहरी निकायों के बजट का केवल क्रमश: 13% और 44% ही स्वयं के प्रयास से जुटाया गया था।
  - संरचना: प्राय: राज्यों को यह अस्वीकार्य होता है कि उनके वित्त एवं शासन संबंधी मामलों को किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाए, लेकिन राज्य सरकार स्वयं, स्थानीय निकायों पर असीमित नियंत्रण का प्रयोग करती है (अधिकांश राज्यों में महापौरों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों का निलंबन या उन्हें पद से हटाना अथवा निर्वाचित स्थानीय निकायों का अधिक्रमण एक सामान्य स्थिति है)।
  - अलग-अलग केंद्रीय ग्रामीण और शहरी मंत्रालयों का होना नीति को विकृत करता है।
  - बेहतर नेतृत्व की कमी: शक्ति एवं संसाधनों की कमी एक खतरनाक दुष्चक्र की शुरुआत कर देती है, जहाँ महत्त्वाकांक्षी एवं प्रतिभाशाली लोगों को शहरों में नेतृत्व के लिये आमंत्रित नहीं किया जाता है।

आगे की राह- सु-शहरीकरण की आवश्यकता

- सामाजिक-आर्थिक न्याय हेतु: महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के लिये आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सु-शहरीकरण बेहद महत्त्वपूर्ण है।
  - खराब गुणवत्ता वाले शहरीकरण के परिणामस्वरूप केवल पुरुषों का प्रवास होता है, जहाँ महिलाओं को कृषि कार्यों, बच्चों के पालन-पोषण और परिवार वालों की सेवा के लिये पीछे छोड़ दिया जाता है. उनके पास न तो स्वास्थ्य सेवाओं का कोई आश्रय होता है, न ही वे जीवनसाथी का भावनात्मक समर्थन पाने में सक्षम होती हैं।
  - खराब गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूलों में जाने वाले ग्रामीण बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या सिविल सेवाओं के लिये अंग्रेज़ी-प्रधान प्रवेश परीक्षाओं में भाषा संबंधी चुनौतियों का सामान करते हैं।
  - किसी भी मानक पर सर्वोत्कृष्ट नहीं होने के बावजूद शहरों में स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा दोनों की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर है।
- छोटे और मध्यम शहरों का पुनर्विकास: इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेगासिटीज़ के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र अनुपयुक्त योजना, गैर-अनुमेय अवसंरचना, किफायती आवास की कमी और बदतर सार्वजनिक परिवहन जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।
  - इस प्रकार छोटे एवं मध्यम शहरों पर ध्यान केंद्रित किये बिना सु-शहरीकरण संभव नहीं है।

नोट :

- शहरों को शक्ति और धन प्रदान करना: सु-शहरीकरण के लिये राज्य सरकार को अपने स्वार्थ का त्याग करने की आवश्यकता है। इससे उच्च गुणवत्तापूर्ण नौकरियों और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं को रोज़गार प्रदान करने में मदद मिल सकती है।
  - भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा है कि 'खाद्य प्रौद्योगिकी' बहस में 'नॉर्मन बोरलॉग' ने 'विलियम वोग्ट' पर जीत हासिल की है यानी 'नवप्रवर्तन' की जीत हुई है।
  - चूँकि पोस्ट-कोविड समय में शहरीकरण की बहस गति पकड़ रही है, हम आशा करते हैं कि एक बार फिर 'प्रोफेट' पर 'विज़ार्ड' की जीत होगी।

रोग निगरानी प्रणाली

संदर्भ

निगरानी (Surveillance) का आशय परिणाम विशिष्ट डेटा के व्यवस्थित संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या से होता है, जिसका उपयोग प्राय: सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों एवं अभ्यासों के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिये किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर 'रोग निगरानी प्रणाली' मुख्यत: दो कार्य करती है- पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य को संभावित खतरों की पूर्व-चेतावनी देना और दूसरा कार्यक्रम निगरानी कार्य, जो कि रोग विशिष्ट या बहु-रोग आधारित हो सकता है।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में चेचक उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में और फिर कई उभरते तथा पुन: उभरते रोगों से निपटने के लिये विभिन्न देशों ने रोग निगरानी प्रणाली के महत्त्व को समझा है और इसमें निवेश करने तथा इसे सशक्त बनाने का प्रयास किया है। वर्ष 1997 में 'एवियन फ्लू' के प्रकोप और वर्ष 2002-04 में 'सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम' (SARS) के प्रकोप के साथ इन प्रयासों को और बढ़ावा दिया गया है।

भारत में रोग निगरानी प्रणाली

- वर्ष 1988 में दिल्ली में व्यापक स्तर पर 'हैज़ा' (Cholera) के प्रकोप और वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग के प्रकोप ने भारत सरकार को वर्ष 1997 में 'राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम' (National Surveillance Programme for Communicable Diseases) की शुरुआत के लिये प्रेरित किया था।
- हालाँकि, सरकार की यह पहल बेहद बुनियादी या साधारण ही बनी रही और असल प्रयास तब शुरू हुआ जब वर्ष 2004 में SARS के प्रकोप को देखते हुए भारत ने 'एकीकृत रोग निगरानी परियोजना' (IDSP) की शुरुआत की।
- 'एकीकृत रोग निगरानी परियोजना' के तहत रोग निगरानी के लिये सरकारी वित्तपोषण की वृद्धि, प्रयोगशाला क्षमता का सशक्तीकरण, स्वास्थ्य कार्यबल के प्रशिक्षण और भारत के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक प्रशिक्षित महामारी विशेषज्ञ (Epidemiologist) की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस परियोजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2004 से वर्ष 2019 के बीच विभिन्न प्रकोपों का पता लगाया गया और उनकी जाँच की गई।

महामारी विज्ञान

- महामारी विज्ञान का अभिप्राय आबादी विशेष में स्वास्थ्य एवं रोग स्थितियों के वितरण, प्रारूप एवं निर्धारकों के अध्ययन और विश्लेषण से है।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला है और रोग के जोखिम कारकों एवं निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों की पहचान कर नीतिगत निर्णयों एवं साक्ष्य-आधारित अभ्यास को आकार देता है।
- इसका प्राथमिक कार्य रोगों या उनके प्रसार के रोकथाम हेतु कार्रवाई शुरू करना है, जिसे 'रोग निगरानी' प्रक्रिया कहा जाता है।

निगरानी प्रणाली की आवश्यकता

- स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का बेहतर प्रबंधन: जब राष्ट्रीय स्तर पर रोग के प्रसार का पता लगाने की क्षमता होती है, तो वह नीति निर्माताओं को रोग प्रबंधन के लिये स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर ढंग से डिज़ाइन करने में मदद करती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये यदि अस्पताल इन्फ्लूएंज़ा, निमोनिया या डायरिया के सीज़न के विषय में जानते हैं, तो वे रोगियों की भर्ती में वृद्धि के लिये पूर्व-योजना बना सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आवश्यकतानुसार बिस्तर और कर्मचारी उपलब्ध होंगे।

- भारत की विविध प्रकृति से बढ़ते खतरे: स्वास्थ्य देखभाल में उल्लेखनीय असमानता, घनी शहरी आबादी, घरेलू एवं जंगली पशुओं के साथ विविध संपर्क, लगातार आंतरिक प्रवास, व्यापक प्रवासी आबादी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क और गर्म जलवायु जैसी विशेषताओं के साथ 1.3 बिलियन आबादी वाले देश के रूप में भारत स्वदेशी और आयातित संक्रामक रोगों के प्रति काफी अधिक संवेदनशील है।
- रोगों की शीघ्रातिशीघ्र पहचान: एक सुव्यवस्थित और क्रियान्वित रोग निगरानी प्रणाली में किसी भी रोग के मामलों में वृद्धि की पहचान शीघ्रातिशीघ्र कर सकना संभव हो पाता है।
  - उदाहरण के रूप में हम केरल को देख सकते हैं, जो भारत के सर्वोत्कृष्ट रोग निगरानीकर्त्ता राज्यों में से एक है और कोविड-19 मामलों की सर्वाधिक पहचान में सबसे अधिक सफल रहा है। केरल सितंबर 2021 के आरंभ में 'निपाह वायरस' के पहले मामले की पहचान करने वाला राज्य भी है।
  - इसके विपरीत डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस के मामलों ने तब ध्यान आकर्षित किया था, जब उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इनके कारण तीन दर्जन से अधिक मौतें हुई थीं।

आगे की राह

- वित्तपोषण की वृद्धि करना: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं तथा रोग निगरानी के लिये आवंटित सरकारी संसाधनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- कार्यबल का प्रशिक्षण: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में संलग्न कार्यबल को रोग निगरानी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाइयों के विषय में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
  - सभी स्तरों पर निगरानी कर्मचारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता है।
- क्षमता निर्माण: कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बीते 18 माह में विकसित हुई प्रयोगशाला क्षमता को योजनाबद्ध और पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों एवं संक्रमणों के परीक्षण करने की क्षमता का भी विस्तार किया जा सके।
  - इसे एक ऐसी प्रणाली के निर्माण के लिये संबद्ध किया जाना चाहिये, जहाँ एकत्र किये गए नमूनों का त्वरित रूप से स्थानांतरण एवं परीक्षण किया जा सके और तुरंत ही रिपोर्ट उपलब्ध हो सके।
- 'वन हेल्थ' के दृष्टिकोण को अपनाना: ज़ूनोटिक या पशुजन्य रोगों के उभरते प्रकोप- चाहे वह केरल में निपाह वायरस हो या अन्य राज्यों में 'एवियन फ्लू' अथवा उत्तर प्रदेश में 'स्क्रब टाइफस'- हमें मानव एवं पशु स्वास्थ्य के परस्पर संबंध की याद दिलाते हैं।
  - इस प्रकार, 'वन हेल्थ' के दृष्टिकोण को नीतिगत आख्यानों से आगे ले जाते हुए इसे ज़मीनी स्तर पर कार्यात्मक किया जाना चाहिये।
- पंजीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना: 'नागरिक पंजीकरण एवं जन्म-मृत्यु आँकड़ा (Civil Registration and Vital Statistics- CRVS) प्रणाली और मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
- समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता: यह एक उपयुक्त समय है जब संयुक्त कार्ययोजना विकसित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रोग निगरानी के लिये उत्तरदायित्व सँभालने हेतु राज्य सरकार एवं नगर निगम के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  - 15वें वित्त आयोग द्वारा निगमों को स्वास्थ्य के लिये किए गए आवंटन का उपयोग इस प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिये किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

नए एवं पुराने रोगों का उभार एवं पुन: उभार और स्थानिक रोगों (Endemic Diseases) के मामलों में वृद्धि आंशिक रूप से अपरिहार्य है। हम ऐसे प्रत्येक प्रकोप के उभार को रोक नहीं सकते लेकिन एक सु-संचालित रोग निगरानी प्रणाली के साथ ही महामारी विज्ञान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से हम उनके प्रभाव को अवश्य ही कम कर सकते हैं।

भारतीय राज्यों को रोगों का पता लगा सकने के लिये तत्काल सारे उपाय कर लेने की आवश्यकता है, जो देश को भविष्य के सभी प्रकोपों, स्थानिक बीमारियों और महामारियों के लिये तैयार करेंगे। यह उन प्रथम आवश्यकताओं में से एक है, जिस पर भारतीय स्वास्थ्य नीति-निर्माताओं को अविलंब ध्यान देना चाहिये।

नोट :